राजस्थान विधान सभा

६७वीं बैठक, सोमवार, दिनांक ६ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४-७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १७००

किशनगढ़ तहसील में ग्राम अवाणा व सांवतसर में इस वर्ष चारागाह भूमि में काश्त

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ तहसील के गांवों में चारागाह कि भूमि की कमी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस साल कई स्थानों पर चरागाह की भूमि में भी काश्त करवाई गई है ?

(ग) ग्राम अवाणा और सांवतसर में कितनी चरागाह भूमि में इस वर्ष काश्त कराई गई और उसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्राम अवाणा और सांवतसर में इस वक्त चरागाह में काश्त कराने के लिये तहसीलदार ने किसी भी प्रकार इजाजत नहीं दी है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां तहसील की वगैर इजाज़त के काश्त हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

Page No.2

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है इस तहसील में चरागाह की भूमि की घोषणा नहीं की गई है इसलिये चरागाह की भूमि में बार-बार काश्त की जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि घोषणा की गई है या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है अवाणा और संवत्सर में चरागाह की भूमि में काश्त नहीं करने देने के लिये किशनगढ और उन गांवों के किसानों ने माननीय मंत्रीजी के पास प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहुत से प्रार्थना-पत्र आ सकते हैं और बहुत से आये हैं, इसलिये यह याद रखना कठिन है कि कौनसा किसके बारे में आया है।

श्री चांदमल मेहता —यदि चरागाह भूमि में काश्त की गई है तो आयंदा नहीं की जाय, क्या ऐसा आदेश जारी करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यदि अनाधिकृत रूप से काश्त की जायगी तो जरूर ऐसा आदेश दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अनाधिकृत रूप से हुई है या नहीं, क्या इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके लिये कभी इन्कारी नहीं होती।

प्रश्न संख्या १७०१

किशनगढ तहसील के भांभियों के वेतन न मिलने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ तहसील में भांभियों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त भांभियों में किन किन को कितनी कितनी तनख्वाह दी जाती है ?

(ग) ऐसे कितने भांभी है जिन्हें ३ माह अधिक से तनख्वाह नहीं दी जा रही है ?

(घ) उक्त भांभियों को तनख्वाह नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) किशनगढ़ तहसील में भांभियों की संख्या ११ है।

(ख) उन भांभियों को ३ रु० १२ आ० माहवार दिया जाता है।

(ग) तीन मास से तनख्वाह नहीं दी जा रही है।

(घ) इस बारे में पूछ-ताछ की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—तनख्वाह अब तक नहीं देने का कारण क्या है? इसी पूछताछ का जवाब नहीं मिला, दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जवाब नहीं मिला इसीलिए तो ऐसा उत्तर दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन भांभियों में से कई ऐसे हैं जिनको ८-८ महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है, किन्तु तनख्वाह नहीं मिली इसलिए यह संभव हो सकता है कि ज्यादा समय तक भी नहीं मिली हो।

श्री चांदमल मेहता—आयन्दा कब तक मिलेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं मिलने का कारण स्पष्ट होते ही मिलेगी।

श्री चांदमल मेहता—इसके लिए अवधि निश्चित की जा सकती है कि २-३ महीनों में मिल जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जानकारी प्राप्त होते ही मिल जायगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा।

प्रश्न संख्या १७०२

१५ अगस्त को महाराजा किशनगढ़ कॉलेज के गायन कार्य-क्रम में प्रोफेसर्स द्वारा अश्लील गायन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि १५ अगस्त को महाराजा कॉलेज किशनगढ़ की तरफ से कालेज के हाल में गायन का कार्य-क्रम भी रखा गया था?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्य-क्रम में छात्र-छात्राओं और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया ?

(ग) क्या यह सही है कि कॉलेज के प्रोफेसर ने अश्लीलता पूर्ण गायन उक्त समारोह में गाये ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)—(क) १५ अगस्त, १९५४ को गायन का तो कोई कार्य-क्रम नहीं था, गायन के रूप में तो केवल राष्ट्रीय गान 'जन, गण, मन' ही गाया गया था। संध्या समय शिक्षाध्यक्ष की आज्ञानुसार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) उक्त कार्य-क्रम में छात्राओं एवं महिलाओं ने कोई भाग नहीं लिया था। केवल कॉलेज के छात्र, अध्यापक गण, एवं कुछ आमन्त्रित पुरुषों ने ही भाग लिया था।

(ग) कॉलेज के प्रोफेसरों ने उक्त समारोह में कोई अश्लील पूर्ण गाना नहीं गाया।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई थी ?

श्री अध्यक्ष—गाये ही नहीं गये तो जांच कैसी ?

श्री चांदमल मेहता—जितने आदमी समारोह में उपस्थित थे वे कहने को तैयार हैं कि अश्लील गायन गाये गये, जिससे बालिकाओं और अध्यापिकाओं के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या सरकार इस बाबत जांच कराने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ—प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—जब जितने आदमी उस समारोह में उपस्थित थे वे सब के सब कहने को तैयार हैं तो फिर प्रश्न क्यों नहीं पैदा होता ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप कहते तो भी मान लिया जाता।

श्री चांदमल मेहता—अगर मान लिया जाता होता तो यह प्रश्न करने का ही मौका नहीं आता।

श्री भोलानाथ—महिलाओं ने पार्ट नहीं लिया।

श्री चांदमल मेहता—महिलाएं उपस्थित थीं और प्रोफेसर ने अश्लील गाने गाये; जैसा कि प्रश्न (ग) में मैं पूछ चुका हूं।

Page No.5

श्री भोलानाथ — एक तमाशगीर की तरह देखने जाना अलग चीज है; हिस्सा लेने के माने तो गाने में भाग लेना, समारोह में भाग लेना आदि है।

श्री चांदमल मेहता—अगर मंत्री महोदय इस बारे में डेफिनिट नहीं हैं तो क्या जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ—कोई अश्लील गाना नहीं गाया गया। वह कोई होली का दिन नहीं था, १५ अगस्त का त्योहार था।

श्री संतोषसिंह—अश्लील गाने नहीं गाये तो फिर कौन-कौन से गाने गाये ?

श्री भोलानाथ—यह तो आप उन्हीं से पूछिये जिन्होंने गाने गाये।

श्री अध्यक्ष—अभी बताया था न कि 'जन-गण-मन' गाया था।

श्री चांदमल मेहता — क्या 'जन-गण-मन' के अतिरिक्त और कोई गाना नहीं गाया ?

श्री भोलानाथ—गाने तो और भी गाये गये, पर अश्लील नहीं गाये गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अश्लील गाने गाने से पहले कहा गया था कि अब हम विशेष गाने गायेंगे और जिनको इन गानों में रूचि नहीं हो वे उठ कर चले जांय।

श्री अध्यक्ष—It was not a free-style! Next.

प्रश्न संख्या १५०३

महाराजा कॉलेज, किशनगढ़ के हॉल को क्लब बना कर बेडमिन्टन खेला जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज, किशनगढ़ की बिल्डिंग का हॉल आजकल क्लब घर बना रखा है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हाल बेडमिन्टन खेलने के उपयोग में लिया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त हॉल में रात्रि के वक्त कॉलेज के प्रोफेसर व गर्ल्स स्कूल की अध्यापिकाएं बेडमिन्टन खेला करती हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त हॉल को क्लब का रूप देने की वजह से छात्रों द्वारा प्रार्थना भी उक्त हॉल में नहीं की जाकर बाहिर की जाती है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) दरबार इन्टरमिजियेट कॉलेज, किशनगढ़ के हाल को कोई क्लब-घर नहीं बनाया गया।

(ख) उक्त हॉल में सदा से ही लड़कों और अध्यापकगण को संध्याकाल में बेडमिन्टन खेलने की आज्ञा है।

(ग) रात्रि के समय नहीं, बेडमिन्टन संध्या के समय खेली जाती है। गर्ल्स स्कूल की कोई अध्यापिका बेडमिन्टन खेलने कॉलेज में नहीं आती है। कॉलेज के लेक्चरार एवं अन्य अध्यापक गण को ६ बजे से ८ बजे तक बेडमिन्टन खेलने की आज्ञा है और इसके लिये जो भी व्यय होता है (रोशनी खर्च सहित, उन लोगों को देना पड़ता है।

(घ) बेडमिन्टन के कारण प्रार्थना व कॉलेज के अन्य किसी कार्यक्रम में बाधा आने की संभावना नहीं है, प्रार्थना सदा से ही गर्मियों में बाहर और सर्दियों में हॉल के अन्दर होती है!

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि छात्राओं और अध्यापिकाओं को सरकारी आज्ञा के नाम पर खेलने को मजूबर किया जाता है?

श्री भोलानाथ—क्या जबर्दस्ती खेलने को कम्पेल किया जाता है, क्या आशय है आपका?

श्री चांदमल मेहता—सरकारी आज्ञा का नाम लेकर छात्राओं और अध्यापिकाओं को कहा जाता है कि उनके लिये यह खेलना आवश्यक है?

श्री भोलानाथ—यह नई सूचना दे रहे हैं, क्लब के बाबत पूछा था जिसका उत्तर में दे चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—यह बेडमिन्टन कब से चला आ रहा है वहां?

श्री भोलानाथ—सदा से है।

श्री चांदमल मेहता—सदा से कब से, जब से कॉलेज बना तब से?

श्री भोलानाथ—जब से हाल बना तब से।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १७०४

बस सर्विस यात्रियों से नियत किराया वसूल करना

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

Page No.7

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या बस सर्विस वाले यात्रियों से मुकर्रर किराया वसूल नहीं कर सकते ?

(ख) यदि हां, तो इसके लिये प्रति मील किस हिसाब से रेट मुकर्रर है ?

(ग) उक्त रेट से ज्यादा पैसे लेने के अपराध में सन् ५३-५४ के वर्ष में कितने आदमियों को सजा दी गई ?

श्री रामकरण जोशी (याता-यात मंत्री)—(क) हां।

(ख) ८, ११ और १४ पाई प्रति मील ए. बी. और सी. वालों के लिये।

(ग) किसी को नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो मुसाफिर सफर करते हैं उनमे बस वाले ज्यादा पैसे नियत दर से ज्यादा लेते हैं और टिकट नहीं देते ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने जांच की व्यवस्था कर रखी है कि कहां कहां के टिकट लिये, क्या चार्ज किया इत्यादि ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार ने इन्तजाम कर रखा है। इन्स्पेक्टर्स सभी रूट्स पर चलते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या पिछले साल इन्स्पेक्टरों ने सरकार के पास इस किस्म की शिकायत नहीं रखी ?

श्री रामकरण जोशी—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बात सही है कि बस वालों के साथ इन्स्पेक्टर्स सांठ-गांठ रखते हैं इसीलिये सरकार के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई ?

श्री रामकरण जोशी—कोई विशेश बात हो तो उसे निश्चित रूप से रखें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्स्पेक्टर्स बसों में बैगर टिकट के ही चलते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इन्स्पेक्टरों की शिकायतें सरकार के पास किसी की तरफ से अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७०५

किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी द्वारा शहर विकास हेतु ५ लाख रुपयों का लोन

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायतशासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी ने शहर के इम्प्रूवमेंट के लिये ५ लाख रुपये की लोन के लिये मांग की थी ?

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग कब की गई ?

(ग) उक्त मांग के लिये कितने रिमाइन्डर म्युनिसिपेलिटी के प्राप्त हुए ?

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) २८ सितम्बर, १९५३ को।

(ग) एक स्मरण पत्र दिनांक ३ मई, १९५४ को प्राप्त हुआ।

(घ) २८ सितम्बर, १९५३ को प्रथम पत्र प्राप्त होते ही बोर्ड की योजना तथा पूर्ण विवरण के लिये लिखा गया पर इस विषय में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—बोर्ड को किस तारीख को किस नम्बर से लिखा गया ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो आप अलग से पूछते तो बताया जाता।

श्री चांदमल मेहता—यह इसलिये पूछा जाता है कि बोर्ड के पास आपका इस प्रकार का पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामकरण जोशी—२८ सितम्बर, १९५३ को योजना बना कर भेजी है, वह जरूर पहुँची है।

श्री चांदमल मेहता—तारीख बता सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—तारीख तो नहीं बता सकता ।

प्रश्न संख्या १७०६

श्री अध्यक्ष—श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित-कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७०७ एवं १७०८

श्रीमती यशोदा देवी ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १७०९ एवं १७१०

श्री तेजपाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७११

श्रीमती यशोदादेवी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७१२

श्रीमती यशोदा देवी ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये

प्रश्न संख्या १७१३

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.10

प्रश्न संख्या १७१४

बैराठ तहसील में सेटलमेंट के पर्चों में निश्चित किये गये लगान पर भाड़शाही बट्टा

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि बैराठ तहसील में सेटलमेंट के पर्चों में जो लगान निश्चित किया गया है उसके अलावा भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय का भाड़शाही बट्टा भी लगान पर वसूल किया जाता है ?

(ख) उक्त तहसील में अब तक कितना रुपया ४ साल में बट्टे का वसूल किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां

(ख) ३८७८८ रुपया गत ४ वर्ष में वसूल हुआ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह बट्टा लिया गया है वह बैराट तहसील में ही लिया जाता है। या दूसरी तहसीलों में भी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पुरानी जयपुर रियासत की कई तहसीलों में लिया जाता है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी यह कब तक माफ कर दिया जायगा ।

श्री मोहन लाल सुखाडिया—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जो नये पर्चे दिये गये हैं और उनमें जो रेंट्स लगाई गई हैं उनमें क्या यह बट्टे की रकम भी लगाई गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नये पर्चों में बट्टे की रकम नहीं लगाई जाती, वह तो पुराना कानून है उसी के मौफिक बट्टे की रकम लगाई जाती है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि नये पर्चे जो देहातों में मिले हैं वहां भी भाडशाही के हिसाब से रेंट वसूल किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस वर्ष जो पर्चे दिये गये हैं उनमें भाडशाही के हिसाब से वसूल नहीं किया गया है।

Page No.11

श्री श्रीदास गोयल— केवल इस साल का प्रश्न नहीं, प्रश्न यह है कि नये सेटलमेंट के अनुसार जो रेट्स बांधी गई उनमें पिछले सालों में झाडशाही के बट्टे की रकम वसूल की गई है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने इसी लिये इस साल का कहा है, ये सारे मामले सरकार के विचाराधीन हैं और जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—सेटलमैंट डिपार्टमेंट ने रेंट रेट मुकर्रर करते समय क्या झाडशाही का भी खयाल रखा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसी खयाल को रखते हुए तो बट्टा लगाने की गुंजायश रही।

श्री श्रीदास गोयल—उसूलन यह कहां तक ठीक है कि एक ही समय में सेटलमेंट होते समय एक इलाके में झाड़शाही से और दूसरे इलाके में कलदार से तय किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें कोई उलझन की बात नहीं है, जब जयपुर में सेटलमेंट शुरु हुआ था तो उस समय में फंडामेंटल रूल्स रखे हुए हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जिनसे झाड़शाही से वसूल किया गया क्या उनको वापिस देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि ये सब मामले अभी विचाराधीन हैं, अन्तिम निर्णय जल्दी ही होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या जहां पर्चे बांटे गये और झाड़शाही बट्टा लगाया गया, जो अलावा ले लिया गया तो क्या वह रकम जो ज्यादा ले ली गई है वह वापिस दे दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—नये पर्चों में जो यह बट्टा लगा दिया गया है वह भी वापिस नहीं दिया जावेगा या दे दिया जावेगा। ये दो चीजें कैसे होंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि वापिस नहीं किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—रिविज़न। श्री धर्मपाल।

(श्री धर्मपाल की अनुपस्थिति में मोतीराम चौधरी को प्रश्न पूछने की आज्ञा प्रदान की गई)

Page No.12

प्रश्न संख्या १७०६

राजस्थान में केटर-पीलर्स एवं उनका उपयोग

श्री धर्मपाल पंवार—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सरकार के पास कुल कितने केटर-पीलर है और कहां कहां काम में लाये जा रहे हैं ?

(ख) क्या इन केटर-पीलर्स को सामूहिक विकास मन्डलों में देने की योजना है; यदि हां, तो कहां कहां दिये जावेंगे ?

(ग) क्या रायसिंहनगरसामूहिक विकास मंडल में भी कोई केटरपीलर भेजा जायगा या भेज दिया गया है ?

(घ) कितने ट्रेक्टर रायसिंह नगर विकास मंडल को दिये जायेंगे या दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) कृषि विभाग के पास इस समय ३ ट्रेक्टर्स इस समय मौजूद हैं और वे निम्न स्थानों पर काम कर रहे हैं :

(१) कोटा, (२) भरतपुर और (३) जयपुर (पडासोली गवर्नमेंट फॉर्म)

(ख) हां, यह योजना विचाराधीन है।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्रीमती यशोदादेवी।

(अनुपस्थित).

श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती यशोदादेवी

(अनुपस्थित)

श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराजसिंह डिवीजन नम्बर १२१ ने दिनांक ३० अगस्त सन्, १९५४ से दिनांक १० सितम्बर सन् १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

नागोर, सिरोही इत्यादि कलेक्टर्स द्वारा राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक सम्मतियां प्राप्त होने पर भी न भेजने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने रखा था, मैं उसे पढ़ देता हूं:

"That this House do now discuss the breach of privilege committed by the Collectors, Nagaur, Sirohi, Dungarpur, Jhalawar and Jalore in not having forwarded the opinions received by them on the Rajasthan Essential Services (Maintenance) Bill, 1952, to the Assembly in time."

इसके बारे में कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसके बारे में मैंने उनसे स्पष्टिकरण चाहा, लेकिन शायद वे बिज़ी रहे, परसों भी नहीं आ सके और आज भी नहीं आ सके। उसमें १९५३ का मामला है और कलेक्टरों के नाम नहीं दिये गये हैं। उन्होंने कलेक्टर नागौर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़ लिखा है। लेकिन जब तक हाउस के सामने यह स्पष्ट बात नहीं आवे कि फलां व्यक्ति ने हाउस के उस अधिकार का उलंघन किया तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिये प्राइमाफ़ेसी इसमें कोई तथ्य नहीं रहता। इसलिये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३
(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान टिनेन्सी बिल। जो अन्डर कन्सीडरेशन क्लॉज़ हैं वे लिये जावेंगे या वोट लिये जावेंगे।

क्लॉज़ ६३, वोट लें या किसी को कुछ कहना है।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ ६३ पर मेरा अमेंडमेंट है और वह यह है।

श्री अध्यक्ष—आप तो उस दिन अनुपस्थित थे।

श्री श्रीदास गोयल—आज मौका दिया जा रहा है और अमेंडमेंट को डील किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप उस पर अपना मत दे सकते हैं और उस पर आप कोई स्पीच नहीं दे सकते, after the Minister has replied to the debate. श्री श्यामलाल जी गोयल इसको प्रेस करें तो मैं इस पर वोट ले सकता हूं वरना......

श्री मोहनलाल सुखाडिया—On that day I have already made clear that the amendment moved by Shri Goel is acceptable to me; as well as the amendment moved by Shri Chandmal Mehta about deleting the word 'Khatedar' in sub-clause (2) that is also acceptable to me. In third we will add forth also :

"the sub-tenant may remove any tree on his holding for his own agricultural use with the written permission of the person occupying"

इस तरह से वे पर्मिशन नहीं दें तो तहसीलदार से पर्मिशन ले सकते हैं। जैसे (२) में किया जा सकता है वैसे ही (४) में किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर वोट ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज़ ६३ पर रखा है उसको स्वीकार किया जावे। जो इसके पक्ष में हो वे हां कहें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—क्या आप (श्री सुखाड़िया से, स्वीकार करते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—"Sub-Divisional Officer" will be changed to "Tehsildar"; I accept this.

श्री अध्यक्ष—"After the word 'landlord' insert the following words 'Sub-Divisional Officer'." इस अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—"Instead of 'Sub-Divisional Officer' it would be "Tehsildar".

श्री अध्यक्ष—Unless the member is present, it cannot be taken in this form.

Page No.15

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज़ ६३ पर रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

अब यह प्रश्न है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन......

श्री अध्यक्ष—There is still time.

श्री चांदमल मेहता—मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है, मुझे मालूम नहीं था।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज़ ६३ पर रखा है उसको क्या स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री जवानसिंह—मुझे मेरे संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की सम्मति है कि श्री जवानसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड ६३ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

The Hon'ble Member from Sirohi (Shree Jawan Singh) should take his usual seat where he sits.

(विराम)

Clause 63 A, Shri Tan Singh

(अनुपस्थित)

We take it as moved. "Substitute the word 'Tehsildar' for the words 'Sub-Divisional Officer' occuring in the last line of the clause". Is it the will of the House ?

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that amendment moved by Shri Tan Singh be accepted.

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६३ ए, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड ६३ ए, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 63 B. Shri Chandmal Mehta

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following: amenment to Clause 63 B.

" Insert the following words before the word 'and' in sub-clause (b) 'and forfeiture of any tree or timber in respect of which such contravention shall have been committed."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६३ बी इस प्रकार है :—

"Penalties for unlawful removal: Whoever contravenes all or any of the provisions of section 62 or section 63 or any of the terms, conditions of or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable:

(a) in the case of a first contravention, with fine which may extend to one hundred rupees, and

(b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to two hundred rupees, and any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be fore feited o the State Government."

[श्री चांदमल मेहता]

यानि पेड़ काटने के संबंध में यदि कोई पहला अपराध करता है उसके लिए १००) रुपया जुर्माने की व्यवस्था रखी गयी है। अध्यक्ष महोदय, पहला अपराध करे और पहले अपराध में ही चाहे जितने पेड़ काट लेता है: मान लीजिये, कोई सौ पेड़ काट लेता है और सौ पेड़ काटने की पहले अपराध में शिकायत होती है और उसके लिए सौ रूपया ही फाइन किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि पेड़ काटने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले रीमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डिनेन्स था उसमें फाइन के साथ साथ लकडी भी जब्त करने की व्यवस्था थी। उस प्रकार के आर्डिनेन्स के होते हुए भी पेड़ काटे जाते थे, तो इस प्रकार इसमें लीनियेन्सी रखने से तो और पेड़ ज्यादा कटने लगेंगे और उसका यह परिणाम होगा कि काश्त के लिये पेड़ मिलना मुश्किल हो जायगा। इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि सौ रूपया जुर्माने के साथ साथ लकडी जो काटी गई है वह भी जब्त होने के आदेश होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I have also sent one amendment.

श्री अध्यक्ष—On 63 B ?

श्री जवानसिंह——Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—This is not in my possession.

श्री जवानसिंह—The amendment which I have given notice of, is only this that in place of "the State Government" the word "land holder" be substituted

श्री अध्यक्ष--Yes, move it now.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और वह संशोधन इस आशय का है कि जहां पर 'स्टेट गवर्नमेंट' अखीर का शब्द है उसके बजाय "लेन्ड होल्डर" सब्टीयूट कर दिया जाय। मेरा यह संशोधन बहुत ही साधारण है, लेकिन कुछ वास्विकता को लिए हुए है। मेरा यह निवेदन करना है कि जहां पर दरख्त किसी लेन्ड होल्डर का है वहां पर अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने उस दरख्त को काट लिया है तो जिस वक्त में तीसरा व्यक्ति सजा पाता है उस दरख्त को काटने के लिए तो जब उस दरख्त को फोरफीट किया जाय तो उसे उस आदमी को लौटाया जाय जिसकी कि वह सम्पति है न कि सरकार में उस दरख्त को

[श्री जवानसिंह]

फोरफीट किया जाय । उसका कारण यह है कि उस दरख्त का मालिकाना हक सरकार का भी हो सकता है और लेन्ड होल्डर का भी हो सकता है । अगर वह दरख्त लेन्ड होल्डर की जमीन का है तो उसको प्राप्त करने का उसका हक है । जो उसको काटता है तो सजा मिलनी चाहिये लेकिन सजा मिलने के वावजूद भी उस लेन्ड होल्डर को उस दरख्त को काटने का किसी प्रकार जुर्म नहीं किया है वह उसको नहीं लौटाया जाता है और जिस आदमी ने उसको काटा हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, किन्तु उस लेन्ड होल्डर को तो सजा नहीं मिलनी चाहिये जिसने कि दरख्त नहीं काटा हैं और उसी को सजा मिलनी चाहिए जिसने दरख्त काटा है । सरकार क्यों न उस लेन्ड होल्डर को लौटाये जिसका कि वह दरख्त है । इसलिए यहां पर लेन्ड होल्डर शब्द सब्सटीटयूट कर दिया जाय जिससे गैर कानूनी तरीके से जो पेड़ काटा गया है वह यदि सरकार का होगा तो सरकार में फोरफीट हो जायगा और अगर सरकार के अलावा किसी लेन्ड होल्डर का है तो वह लेन्ड होल्डर को दे दिया जायगा । यही मेरा आशय है और इसलिए मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—इनका अमेंडमेंट कहां है ?

श्री अध्यक्ष— This is just fresh (Handing it over to the Secretory, Assembaly, Here it is.

(Secretary hands it over to Mr. Revenue Minister.)

The only intention is that the tree which was cut must be forfeited to the land-holder and not to the State Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Supposing any land belongs to the State ?

श्री जवान सिंह--'Land-holder' includes State Government.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया है, इस सम्बन्ध में उसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि इससे बहुत सख्ती हो जायगी जो वाजिब ही है, ऐसे मामलों में । तो वह तो मुझे स्वीकार है । लेकिन दूसरा अमेंडमेंट जो यहां मूव किया गया है जो शख्स ऊपर के क्लॉज़ेज को कॉन्ट्रावीन करेगा उस हालत में वे दरख्त लेन्ड होल्डर को दिये जाने चाहिए तो इसमें कई प्रकार के केसेज़ आ सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि कई जगह कान्ट्राविन्शन्स हों और खुद लैंड होल्डर कटवा रहा हो, इन्डाइरेक्टली उसके अन्दर हाथ हो, और फिर लेन्ड होल्डर को फोरफीट करके लौटा देते है मैं समझता हूँ कि इसका पर्पज़ डिफीट हो सकता है और यह उचित भी नहीं होगा क्योंकि बहुत से इस प्रकार के केसेज़ हमारे सामने रात-दिन आते रहते हैं ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो भाषा है वह ही रहना चाहिये और लेन्ड होल्डर सबस्टीट्यूट नहीं करना चाहिए। लेन्ड होल्डर के दरख्त हैं, शिकायत करने पर नहीं कटेंगे और वे वैसे ही रहेंगे।

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, मुझे दुख है कि मैंने जो संशोधन रखा था उस पर सिम्पेथेटिक कन्सीडरेशन माननीय राजस्व मंत्री ने नहीं किया। अगर वे इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते तो इसे अवश्य मन्जूर करते।

श्री अध्यक्ष—Rather misunderstood ?

श्री जवानसिंह—Exactly मेरा यह निवेदन था कि लैंड होल्डर खुद अगर इस चीज को गलती से कर देता है, बाकायदा किसी दरख्त को काटता है, तो उसको अवश्य सजा दी जाय। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति दरख्त को काटता है तो ऐसे केस में लैंड होल्डर की क्या गलती है कि वह पेड़ उसको न मिले जब कि मालिकाना हक लैंड होल्डर का है। तो वह पेड़ स्टेट गवर्नमेंट को फोरफीट क्यों किया जाय? जब कि एक चीज़ पर मालिकाना हक लैंड होल्डर का है उसको बिना किसी कम्पेनसेशन के स्टेट गवर्नमेंट को फोरफीट कर दिया जाय यह कोई उचित प्रतित नहीं होता। अगर लैंड होल्डर ऐसी गलती करता है तो स्टेट गवर्नमेंट फोरफीट कर ले, अगर तीसरा व्यक्ति दरखत को काटता है तो ऐसी हालत में उसके लाभ से लैंड होल्डर को क्यों वंचित किया जाय? इसी मकसद को ध्यान में रखते हुये मैंने यह संशोधन रखा है। यदि माननीय मंत्री इसको समझते और सोचते तो वे अवश्य मन्जूर करते। चूंकि लैंड होल्डर का नाम आ गया है इसलिये इसकी पृष्ठभूमि में कुछ और ही है और उसी ख्याल से यह मन्जूर नहीं किया गया है, नहीं तो और कोई कारण बताया जाता।

श्री अध्यक्ष—Accept to be withdrawn ?

श्री जवानसिंह—No, sir, only because it is "land holder"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने खण्ड ६३ बी के अन्तर्गत रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.21

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ६३ बी में श्री जवानसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६३ बी, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खण्ड ६३ बी संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड ६३ सी

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

(अनुपस्थित)

Alternative list-Shri Sampat Ram.

श्री संपतराम—अध्यक्ष महोदय, खण्ड ६३ सी में मेरा अमेन्डमेन्ट है....

श्री अध्यक्ष—This is the same amendment which has been moved by Shri Badriprasad Gupta. As Shri Gupta is not present, Shri Sampat Ram may move the amendment. It is serial No. 362, list No. 20.

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Is the Treasury Benches moving the amendment ?

श्री अध्यक्ष—Not actually.

श्री सम्पतराम—संशोधन इस प्रकार है : "Add the following new section after clause 63B. "the State Government may exempt any area or any person or class of persons from the operation of the provisions of section 62 and 63 of this Act."

[श्री सम्पतराम]

अध्यक्ष महोदय, खण्ड ६३ में एक प्रकार का प्रोविजन है कि किस प्रकार जंगल काट सकते हैं। सारा प्रोविजन धारा ६३ के अन्दर आ जाता है। खण्ड ६३ के उप खण्ड (५) में लिखा है :—

"Any person desiring to remove, otherwise than in accordance with the foregoing sub-sections, any trees which vest in him or are his property or are in his possession may do so under a licence to be granted on application by the Sub-Divisional Officer."

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सब क्लॉज़ के जरिये क्या होता है कि सब टिनेन्ट या जो टिनेन्ट के कब्जे में पेड़ होंगे वे पेड़ वे काट सकते हैं जो ऐसे पेड़ है जो डाइरेक्टली उनके पजेशन में आते हैं। बहुत सम्भव है उसके लिये लाइसेन्स सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट से इश्यू करवा ले और वे तमाम पेड़ काट लिये जावें। तो इस तरह से लाइसेन्स प्राप्त करने से वह इलाका पेड़ों से रहित हो जायगा। यह कार्य जहां विश्वेदारी प्रथा चालू है वहां बहुत मात्रा में होगा। इस तरह से बहुत सा इलाका बर्बाद हो जायगा। अलवर और भरतपुर में जहां विश्वेदारी इलाका है उस इलाके में ऐसा सम्भव हो सकता है। हमारी सरकार चाहती है कि इस तरह के मिडियेटर जितने भी हों उनको जल्द समाप्त किया जाय। हमारी सरकार विस्वेदारी भी समाप्त करना चाहती है। इसलिये जब तक यह प्रथा खत्म नहीं होती तब तक वे लोग इस प्रकार से नाजायज पेड़ कटवा सकते हैं। ऐसी सूरत में बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो हमारी सरकार लाखों रुपया नये पेड़ उगवाने के लिये खर्च करती है, दूसरी तरफ इस प्रकार से पेड़ कटने लग जायेंगे तो वह इलाका पेड़ों से विहीन हो जायगा। इसलिये मैने अमेन्डमेंट रखा है कि क्लॉज़ ६३ बी के आगे क्लॉज़ ६३ सी इस प्रकार जोड़ा जाय।

"63C. The State Government may exempt any area or any perso or class of persons from the operation of Clause 62 or 63 of this Act." तो इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट को empower किया गया है कि इस प्रकार की सिच्युएशन आवे तो राज्य सरकार उसमें दखलन्दाजी कर सकती है, ताकि ऐसे इलाके बर्बाद होने से बच सकें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसको स्वीकार करने में एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो ये शब्द है "The state Government may exempt any area" इसके बाद "or any person" जो है उसको हटा देना चाहिये इससे यह बहुत individualistic हो जाता है। इसको हटाकर यह रख दिया जाय "The state Government

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

may exempt any area or class of persons from the operation of section 62or 63 of this Atc."

श्री अध्यक्ष—ये तो ज्यादा पॉवर रखना चाहते हैं, आप कम दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—'एनी परसन' वाली चीज कम रहे तो अच्छा है।

श्री सम्पतराम—इस प्रकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन, नया क्लॉज़ ६३ सी रखने का और जिस प्रकार मंत्री महोदय द्वारा उसमें से "or any peson" हटाने का संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित संशोधन स्वीकार किया गया, और इस प्रकार एक क्लॉज़ ६३ सी विधेयक में, अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ६४

इसमें किसी का संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है खण्ड ६४ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६४ ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६४ ए स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खंड ६४ ए, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६४ बी, ६४ सी एवं ६४ डी स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खंड ६४ बी, ६४ सी एवं ६४ डी विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

क्लॉज् ६५

महाराज श्री केसरीसिंह (कापरेन)—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—I have just received his amendment and for the information of the Members of the House I just read it out:—

"I am sending herewith notice of an amendment to the Rajasthan Tenancy Bill, 1953, as follows:—

'In clause 65, the following proviso be added at the end of the present clause :

"Provided that no rent shall be leviable from a tenant whose total annual income from his land does not exceed Rs. 2/-.'" It is very simple.

महाराज श्री केसरीसिंह (कापरेन)—माननीय अध्यक्ष, मेरा इस खंड में संशोधन बहुत ही साधारण और सरल है।

एक काश्तकार जो कि थोड़ी जमीन काश्त करता है और उसकी सालाना आमदनी २००) से अधिक नहीं होती है उसके उपरान्त भी उससे रेन्ट लिया जावे यह कहां तक वाजिब है ? चूंकि उसके ऊपर भी टेक्सेज् लाद दिये जावें और वह टेक्सेज् का बोझा न उठा सके इसलिए मेरा यह संशोधन है कि इसके ऊपर कोई रेन्ट न लिया जावे और केवल लैंड रेवेन्यू उससे वसूल किया जावे। इसको मानने में माननीय राजस्व मंत्रीजी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जवान सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं ..

श्री अध्यक्ष—For or against ?

श्री जवान सिंह—मैं अभी निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Not decisive.

श्री जवान सिंह—यह संशोधन जो अभी माननीय श्री केसरीसिंहजी ने प्रस्तुत किया है वाकई में अगर गम्भीरतापूर्वक हम सोचें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद इससे हम राजस्थान के काश्तकारी कानून में नया ही सफा खोलेंगे ऐसा ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान भर में शायद नया ही उदाहरण पेश करेंगे। हम इस संशोधन द्वारा उन आदमियों को सहायता देंगे जो काफी गरीब हैं और उन गरीबों को इस कानून के द्वारा उस समान स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे जो आज अपनी जीविका ठीक रूप में उपार्जन करने में समर्थ हैं। मैं इस कारण से इस संशोधन का सहर्ष समर्थन करता हूं और इस सदन से भी अपील करता हूं, आग्रहपूर्वक कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस को इसी सूरत में स्वीकार करके सारे देश में एक जबरदस्त उदाहरण पेश करें।

मैं साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि हर काश्तकार को हमने इसलिये बाध्य किया है कि वह सरकार को सरकार का जितना खर्चा होता है उसको चलाने के लिए अपनी हैसियत के माफिक कुछ दे और इसके लिए ही हर तरह के टैक्सेज़ लैण्ड रेवेन्यू और रेन्ट के रूप में सरकार उनसे वसूल करती है और काफी अर्से से यह लिया जा रहा था। समय धीरे-धीरे परिवर्तित हुआ और रैन्ट कितना होना चाहिये, ज़्यादा होना चाहिये या कम होना,इसके ऊपर विभिन्न विचार धाराएं सामने आईं और इस सदन में हमने भी दो-तीन बार इस चीज़ को तय किया कि किसान द्वारा सरकार को या किसान द्वारा जागीदार को या स्टेट होल्डर को कितना लगान देना चाहिये। हमने शायद मनु के इस सिद्धान्त को यहां पर बार-बार दोहराया है और १।६ हिस्सा भी रैन्ट देने का कानून बनाने का ध्यान रक्खा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आजतक एक सिद्धान्त अपने सामने रक्खा कि काश्तकार की जैसी हैसियत हो उस माफिक लगान तय किया जाना चाहिये, ताकि वह सरकार को भी दे सके और अपना भी आसानी से भरण पोषण कर सके। इसी चीज़ को हमने आज तक अपने ध्यान में हर कानून बनाते समय रक्खा है और साथ ही यह भी ध्यान में रक्खा है कि हमारी मौजूदा परिस्थिति जो आज है उसमें कितना अंश सरकार का मानें और कितना अंश किसान का तो इस तरह हमने आज तक किसान के हित को नजर अन्दाज नहीं किया है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसीसे प्रेरित होकर हमने १।६ हिस्सा रक्खा है और साथ-साथ सैटलमेंट होने के वक्त इस आधार को हमने कैश में परिणित किया है। पर हमें

Page No.26

[श्री जवानसिंह]

इसके साथ साथ यह भी देखना है कि हमारे पास जितनी होल्डिंग है वह इकॉनोमिक है या नहीं ? बहुत सी जमीन इकॉनोमिकली बहुत अच्छी भी है पर ज्यादा मेजोरिटी केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के भी बहुत से हिस्से में भी ऐसी जमीन की है जो इकॉनोमिकली ठीक नहीं है और इसलिये परेशानी यह आती है कि उनके पास कहीं एक बीघा जमीन होती है, कहीं दो एकड तो कहीं दो बीघा और दो तीन एकड भूमि उनके पास में है। इस जमीन पर चूंकि वे अर्से से हैं और पीढ़ियों से काबिज हैं और उस पर ही किसी तरह अपना निर्वाह करते आये हैं, इसलिये आज भी वे उनको पकड़े हुये हैं और उनको छोड़कर शहरों में उससे अधिक अच्छी जीविका उपार्जन का साधन नहीं लेना चाहते, दूसरा परिवर्तन वे अपने जीवन में नहीं करना चाहते, वे उस जमीन के टुकड़े को अपनी पैतृक सम्पत्ति के तौर पर मानते हैं, चाहे उससे आमदनी कम ही हो और जीविका उपार्जन भी ठीक से होता हो या न होता हो पर वे उस पर काबिज़ हैं। पर हमें उनकी इस परिस्थिति को सुधारना है। यह हमने अपना लक्ष्य घोषित किया है कि हम अपने छोटे छोटे काश्तकारों को भी आगे बढ़ावेंगे लेकिन जब हम यह भी देखते हैं कि उनके पास इकॉनोमिक होल्डिंग नहीं है तो ऐसी सूरत में यह हमें देखना है कि हम ऐसी परिस्थिति में उनकी क्या सहायता कर सकते हैं ? अगर उनका होल्डिंग छोटा है तो हम इतना ही लगान उनसे वसूल करें कि वे टिक सकें, किसी तरह उस जमीन पर या और भी छोटे जो काश्तकार हैं उनसे लगान वसूल न करें तो शायद ज्यादा सहायता हम उनकी कर सकते हैं। इसलिये जो मेरे माननीय साथी ने संशोधन रक्खा है वह इस ध्येय की पूर्ति करता है। उनका संशोधन यह है कि जिसकी आमदनी सालाना २००) रुपये से कम हो या २००) तक हो तो उस पर किसी तरह का कोई लगान या रेन्ट वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

मैं, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान इस संशोधन की ओर आकर्षित करूंगा कि जिसकी आमदनी २००) साल है उसकी मासिक आमदनी १४) १५) होती है; तो जिसकी आमदनी मासिक १४), १५) रुपये होती है या इससे कम तेरह-चौदह रुपये होती है तो उससे भी लगान वसूल करके क्या हम उसके साथ न्याय करते हैं ? मेरा यह निश्चित मत है कि ऐसे आदमी से कम से कम रेन्ट या लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिये ! यही नहीं कि उससे इस पर लगान ही या रेन्ट ही नहीं लिया जावे बल्कि उसकी सहायता भी करनी चाहिये, उसको काबिल बनाया जाना चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सके। मेरा खयाल है कि अगर वह जो १३) १४) रु०कमाता है तो उसमें अगर सरकार अपना हिस्सा नहीं लेती है तो जितना उसके पास बचता है उसमें से अपने बच्चों की शिक्षा का भी कुछ थोड़ा बहुत प्रबन्ध वह कर सकता है और अपनी जिन्दगी की जरूरतों को भी थोड़ा बहुत ठीक रूप से चला सकता है। लेकिन अगर सरकार की इस प्रकार की सहायता से और प्रयत्न से उसकी इन्कम २००) से अधिक बढ़ जाती है तो आप जरूर उससे लगान लीजिये, रेन्ट लीजिए। पर अगर कम है तो उसको रेन्ट या लगान देने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये।

इसलिये अन्त में यही निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन से, कि इस तरह का संशोधन स्वीकार करके हम सारे हिन्दुस्तान के सामने एक ऐसा दृष्टान्त रक्खें ताकि वे सब भी

Page No.27

[श्री जवानसिंह]

इसको मान्यता दें और इस बात के लिए कोशिश करें कि हम काश्तकारों को जिनकी इन्कम २००) सालाना है किसी प्रकार का कोई लगान रेन्ट आदि देने के लिये हम उसे बाधित न करें। अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो इससे न केवल आप राजस्थान के काश्तकार का ही भला करेंगे बल्कि हम इस के लिए सारे देश भर में हर इलाके में अनुमोदन पावेंगे और सारे देश के किसानों का हित सम्पादन करने का श्रेय बटोरेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन पर पूर्णतया गम्भीरता से विचार करें और इस निष्कर्ष पर पहुँच जावें कि इसे स्वीकार करने से किसान का बड़ा भला होगा। केवल इस ख्याल से कि ऐसा कहीं आज तक नहीं होता आया है, इसलिये इसे मन्जूर न किया जावे, इस विचार में आप न पड़ें। इसकी जरूरत की महत्ता को आप ध्यान में रख कर ही आप इस पर निर्णय लें। किसान का भला करने की वास्तविकता की तरफ इससे हम कदम बढ़ावेंगे, इसलिये मुझे आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो संशोधन श्री केसरीसिंह जी ने प्रस्तुत किया है देखने में वैसे बड़ा सुहावना लगता है और आकर्षक भी और ऐसा महसूस होता है कि गरीब लोगों के लिए बहुत बड़े सहारे के रूप में इसे लिया गया है, लेकिन वे व्यावहारिकता को और वास्तविकता को इसे लाते समय बिलकुल भूल गये। उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि जमीन जो भी कोई अपने काम में लेता है और उसके द्वारा जो भी उपज होती है उसके एवजाने के रूप में रैन्ट वसूल होता है और उस रेन्ट को वसूल करने में यह जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति केवल जमीन काश्त करता है और अपनी तमाम आय का श्रोत जमीन को मानता है, पर बहुत से ऐसे आदमी हैं जो दूसरा धन्धा भी करते हैं उनके सिलसिले में क्या होगा ?

एक बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है। साथ ही यह भी एक देखने की बात है कि गवर्नमेंट के पास वसूल करने के लिए २००) रु० काश्त के द्वारा आमदनी वाले के लिये कुछ नहीं और उन लोगों की जांच करने के लिए, उन लोगों का पता लगाने के लिए, उनकी आमदनी का जरिया मालूम करने के लिए, बड़ा लम्बा चौड़ा स्टाफ रखना पड़ेगा और हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा, और काश्त का क्या ? काश्त २००) रु० की भी हो सकती है और कभी कभी वेशी भी हो सकती है। एक साल में जो काश्त २००) रु० की हो सकती है वह बाद में ज्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। यह वेरिंग होती रहती है, प्रतिवर्ष और इससे सरकार को नया सिरदर्द हो जायगा। पटवारी और दूसरे व्यक्ति रखने पड़ेंगे, और उनसे प्रतिवर्ष रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि इस वर्ष एक काश्तकार के कितनी आमदनी हुई।

इसके साथ साथ एक अहम चीज है जो भूली नहीं जा सकती है कि केवल लेन्ड होल्डर सरकार ही नहीं है बल्कि दूसरे जागीरदार भी हैं, खुदकाश्त वाले भी हैं जो अपनी जमीनों को अपने

Page No.28

[श्री श्रीदास गोयल]

खुदकाश्त टिनेन्ट्स के द्वारा काश्त कराते हैं। पंत रिपोर्ट में जो जागीरदारी एबॉलिशन के सिलसिले में कन्डीशन्स रखी हैं, जो कानून बनाया गया है, उस कानून की अवहेलना किसी प्रकार से करना संभव हो सकता है। वह एक एग्रीमेंट है, जेन्टिलमेन्स एग्रीमेन्ट है, उसको और तमाम बातों को माननीय मित्र ने दरगुजर किया अपने इस अमेंडमेंट को लाते वक्त।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि यह अमेंडमेंट सुहावना है, परन्तु व्यवहारिकता और वास्तविकता से परे है। इसलिए इसको स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I rise to support the amendment put forward by Shri Kesri Singh. I was surprised that one of the members of the Treasury Benches, who had all the time alleged that privileged classes are a reactionary element in our society, have to-day come out with a speech not to defend the rights of the common man but to maintain the privileged class and it is one of the fortunes of our country and of our State, Rajasthan, that today this amendment has been put forward not by an ordinary man; but Maharaj Shri Kesri Singh has brought this amendment for the benefit of the masses.

Mr. Speaker, there is confusion in this house regarding the Pant Report. I am myself rather confused about this report. From the speech of Shri, shridass Goel I think or I was rather compelled to think that Pant Report is not a Report which is to benefit the peasants of this country, but it is to maintain and safeguard the rights of the vested interestes and thus I don't know, I am rather surprised that sometime it is quoted in favour of peasants and sometimes it is quoted against them. After all, let us first decide whether this Pant Report is such a Engience wrapped in mystery that we can't get into the reality of it? we have to quote to go against the poor peasant. The intention of Maharaj Shri Kesri Singh is, I think, clear, beyond doubt which says that a peasant having an income of Rs. 200/- should not pay rent. It is in plain and simple terms. There is no doubt for suspicion, there is no doubt for going behind. Let us consider that the amendment is of value, little suspecting that it has been moved by him.

We are in democracy. We are repeatedly told, repeatedly reminded that it is the age of the common-man and when we sit to legislate and we were conside-ring or rather discussing this Tenancy Bill, we gave khatedari rights to the sub-tenants because "land belongs to the tiller" is our motto. The justice,equality they demanded, and that must give them permanent rights. We took, we went ahead and in the interest of land we prescribed or circumscribed a right of certain tenant, but

[श्री श्रीमानसिंह]

I was amazed that the very same progressive forces were rather moving haphazardly. That when the question to give equality to the women came there was a hue and cry in this House. That is in my knowledge. We can ride ranghsod over their rights because their representation is short. But now when the question of the poor peasant came, there is again in this House a doubt. In order to give them, exempt them the motive is clear and simple that those peasants who have uneconomic holdings must be exempted. After all if you go and see the cultivation you will find that a farm of uneconomic holding does not give sufficient return to live. Not only he lives half-fed but he cannot exist, the means of subsistence are denied to him. The State is a social welfare State in which everything, every step, every legislation must be governed by one consideration, the consideration of "greatest good of the greatest number" and in our country the greatest number is of the poor people. Whatever we do to relieve them, whatever step we take to make them rich is not a step that will take us back. We have to march forward and we cannot put the hands of the clock back of because inconvenience. The poor people must have a right to live and Shri shridass Goel is denying them their right to exist.

श्री अध्यक्ष—The Members should be addressed by the constituency which they represent.

श्री श्रीमानसिंह—I am quite parliamentary if I call by the name, because if you know in the House of the Commons, Mr. Attlee addresses Mr. Winston Churchill.

श्री अध्यक्ष—It is parliamentary to address the Members by the constituency they represent and not by names.

श्री श्रीमानसिंह—I would obey your ruling but even Hon'ble......

श्री अध्यक्ष—There is no 'but'.

श्री श्रीमानसिंह—Even in the House of the People.

श्री अध्यक्ष—'Even' two wrongs cannot make one right.

श्री श्रीमानसिंह—It would be rather difficult for one to remember the constituencies of 160 Members.

श्री अध्यक्ष—It is high time now for the Members to remember them.

श्री जवानसिंह—सभी मेम्बर्स के सामने कांस्टिट्यूएंसी का नाम लिख दिया जाय।

श्री श्रीमानसिंह—May a circular be issued.

श्री अध्यक्ष—We have supplied you with full addresses of the Members and by now the Hon'ble Members must have been conversant with each other. Addressing by name creates bitterness. We have circularized to this effect.

श्री श्रीमानसिंह—I stand corrected, Sir, The Hon'ble Member who just now spoke before me gave that it is Government's convenience. The convenience of the Government is also the convenience of the people. Even you say to hang man is government convenience, to deny a man the right to live, the right to have the bare necessities of live is also government convenience. After all this word 'convenience' is a double-edged sword that may cut at any time. Then another argument on the ground of practicability. This amendment put forward by the Hon'ble Member from Patan is, it is said on grounds of practicability, can not be accepted. Practical grounds are absolutely suitable. Just exempt those people who have an income of Rs. 200/-. Even if we go into the principles of taxation we know that the principle of taxation is that it follows the principle of minimum sacrifice, that all those people who are taxed must sacrifice as best as possible and they must sacrifice for the greatest advantage. Thus the heaviest burden should lie only on those shoulders who can bear it. Thus I will comment this amendment in this House in these words that it is now whatever, however hap-hazardly we have moved in this Bill, whatever we have done, to whomsoever we have given right and to whomsoever we have denied, but it is now time and opportunity to rectify our mistake and make this democracy a living reality. Take the benefits to the huts of the poorest people and if you continue to deny their rights, if the voice of the common man cannot be heard and if you continue to ignore the voice of the common man, there will be a time when they will rise, they will demand their rights. They are looking up to you. Don't betray them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पाटन से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन सदन के समक्ष रखा है उसकी भावना का तो मैं स्वागत करता हूँ लेकिन, मैं समझता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने एक टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन भारतवर्ष में कायम किया है जो जयपुर में भी आया था। डॉक्टर जान मथाई उस के चेअरमेन हैं और उन्होंने सारे सवालों के ऊपर यहां पर विस्तार से चर्चा की थी और अन्य जगहों पर भी चर्चा की जा रही है। यहां हम यह तय करें कि अमुक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आमदनी से कम बेशी आमदनी हो तो लगान का प्रपोर्शन यह हो तो यहां प्रोग्रेसिव लैंड रेवेन्यू टेक्सेशन के प्रिन्सिपल को हमें इम्प्लीमेन्ट करना होगा और उसको इम्प्लीमेन्ट करने में जहां सवाल आयगा तो फिर जिन की ज्यादा आमदनी है और जिनकी केपेसिटी लगान देने की ज्यादा है उसको बढ़ाने के लिये प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा और पूरी बातें ऐड करके फिर सोशियल लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, नहीं तो अभी जो धारा होगी उसको पूरी इन्क्वायरी की जाने के बाद जो रिजल्ट आयगा उसके अनुसार चेन्जेज़ की जा सकती हैं। यदि हम पहले डिसाइड करेंगे तो वाजिब नहीं होगा। इसके लिये ऑल इंडिया बेसिस पर जो विचार हो रहा है उसका निर्णय होने के बाद सब पहलुओं पर विचार करके समय आने पर निर्णय किया जाय तो उचित होगा। अभी हमारे सामने २००) रु० की आमदनी पर रखने का सवाल है। मुमकिन है बाद में ज्यादा पर किया जाय। सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय किया जा सकता है इसलिये मैं समझता हूँ कि तत्काल ऐसा करना वाजिब नहीं होगा। इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

महाराज श्री केसरीसिंह—जब कि मिनिस्टर महोदय आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आगे ऐसा कानून लाया जायगा जिससे गरीब किसानों को राहत मिलेगी तो मैं वाजिब समझता हूँ कि अपना संशोधन वापिस लेलूं। इसलिये मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—Do you want to with draw it ?

महाराज श्री केसरीसिंह—Yes sir.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह कि खण्ड ६५ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ६५ ए।

श्री जवानसिंह—धारा ६५ ए. में मेरा संशोधन आखिरी शब्द "land holder" के बाद में "Not being the State-Government" एड करने के लिये है। इस संशोधन के जरिये मैं यह निवेदन करूं कि इस क्लॉज़ ६५ ए. में हमने यह निश्चय करना चाहा है कि जो 'लैंड होल्डर' और 'टिनेन्ट' के दर्मियान एग्रीमेन्ट होगा लगान वसूल करने के सिलसिले में, उसमें हमने जो शब्द

[श्री जवानसिंह]

'लैंड होल्डर' इस्तेमाल किया है उसमें यदि 'स्टेट गवर्नमेन्ट' है तो इसका अर्थ यह होगा कि हर तरह का लगान लैंड होल्डर के दर्मयान में चाहे वह खातेदार लैंड होल्डर हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे और तरफ का लैंड होल्डर हो तो उस लैंड होल्डर और काश्तकार के बीच में एग्रीमेन्ट मुआयदे का होगा उस के माफिक लगान तय किया जायगा और लिया जायगा। दूसरी तरफ इस क्लाज ६५ ए. का यह भी आशय है कि सरकार और काश्तकार के दर्मियान जिस प्रकार का एग्रीमेन्ट किया जायगा, उसके माफिक लगान वसूल होगा। मेरा यह निवेदन करना है इस संशोधन के जरिये कि जहां तक स्टेट होल्डर या लैण्ड होल्डर के अलावा स्टेट गवर्नमेंन्ट और काश्तकार के दरम्यान लगान तय करने की बात है तो वह वाजिब है और हमने आगे की धाराओं में इसका समावेश किया है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

जितना सरकार मुकर्रर करेगी; दूसरा या तीसरा चौथा हिस्सा उसी के मुताबिक लैंड होल्डर, एस्टेट होल्डर काश्तकारों से तय करेंगे और उसी प्रकार लगान वसूल किया जायगा। लेकिन जहां तक सरकार और काश्तकार का ताल्लुक है वहां किसी प्रकार का माआयदा करने का प्रोविजननहीं किया गया है इसलिये कि जो सेटलमेंट की रेट होगी उसी हिसाब से लगान काश्तकारों को सरकार को अदा करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में मैं उचित समझता हूँ कि जब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा है जिसके अनुसार सरकार और काश्तकार के बीच में कोई समझौता किया जाय और लगान लिया जाय तो इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि एग्रीमेंट से रेन्ट तय हो। सरकार खुद मुख्तयार है और सेटलमेंट रेट तय होगी उसके अनुसार लगान वसूल किया जायगा, इसलिये सरकार के अलावा जो दूसरे लैंड लोर्ड हैं उनके और किसानों के बीच में ही तय होगा। इस प्रकार का मेरा यह संशोधन है। मैं निवेदन करता हूँ कि इसको गंभीरता से सोचकर स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, अमेन्डमेन्ट अभी माननीय मित्र ने रखा है उसके सिलसले में मुझे यह अर्ज करना है कि लैंड होल्डर शब्द के बाद में जो 'स्टेट गवर्नमेंट' को एक्सक्ल्युड करने की इच्छा है वह दुरुस्त नहीं है और वह इसलिये कि बहुत सी जमीन ऐसी होती है कि जिसके कई व्यक्ति हकदार होते हैं जमीन को लेने के वास्ते और उस जमीन के लिये कभी कोई व्यक्ति खड़ा हो जाय तो कोई प्रोविजन नहीं है कि किस प्रकार किस तरह उसे अलोट की जाय। भूतपूर्व जयपुर स्टेट में जो कानून था उस में ऐसा प्रोविजन था कि जो कोई इस प्रकार की लैंड के बारे में चाहता तो गवर्नमेंन्ट उनके बीच में कुछ निर्णय करके दे सकती थी। इस के साथ ही सेटलमेंट तो एक पीरियड में होता है और उस पीरियड में जो जमीन होती है उसको रेट्स कायम होती है और पर्चे तकसीम हो जाते हैं और बाद में किसी जमीन को इम्प्रूव करके अलॉट करना चाहें तो वह नहीं हो सकेगी इसके लिये भी कुछ न कुछ तरीका होना चाहिये, जिसके अनुसार अलॉट करने के बाद रेन्ट वसूल किया जा सके।

[श्री श्रीदास गोयल]

और इसका एक मात्र सुगम और सही तरीका एग्रीमेंट के द्वारा ही हो सकता है और एग्रीमेंट के सिलसिले में जहां तक रेंट तय करने का सवाल ६७ और ए. बी. सी. डी. एटसेट्रा २ हैं, जिनके द्वारा रेंट फिक्स करने के लिये स्थान दिये गये हैं उनसे सहायता ली जा सकती है।

तो मेरे माननीय मित्र की जो यह तरमीम है कि 'लैंड होल्डर' से 'स्टेट गवर्नमेंट' को एक्सक्लूड किया जावे, इसका मैं ऐसी परिस्थिति में विरोध करता हूं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो तरमीम सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने पेश की है वह दरअसल इस सेक्शन के मतलब को ही खत्म कर देती है। वह कतई गैर जरूरी है मौजूदा सेक्शन को देखते हुए।

लेकिन ६५ ए. जिस तरह से ड्राफ्ट में है, उसकी भाषा भी कोई विशेष साफ नहीं है। ६५ ए. में 'इनिशियल रेंट फिक्स करने का हेडिंग दिया हुआ है और इसमें लिखा है :—

"Subject to the other provisions of this act, a tenant on being admitted to the occupation of land is liable to pay such rent as may be agreed upon between him and his land-holder."

तो सवाल यह पैदा होता है कि राज्य की और जमीनें हैं जिनमें किसानों को खातेदारी हकूक नहीं मिल सकते और जहां जमीनों का सेटलमेंट हो चुका है और इस किस्म की जमीन की दर कायम हो चुकी है, लेंड रेवेन्यु एसेस हो चुकी है, वहां क्या हम इस बात की इजाजत दें कि काश्तकारों से मनमाना लगान वसूल करें ! तो जो धाराएं हमने पास की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार के पास आये, उसको जमीन दी तो वह काश्तकार खेती कर सकता है। एक जमीन की सेटल्ड रेट्स बारह आने, तेरह आने हैं और ऐसी जमीन कि जिसमें खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं हो सकते, या सिवाय चक है तो सरकार उसका मनमाना लगान ले, क्योंकि हमने यह फिक्स नहीं किया है कि किस हद तक एक 'लैंड होल्डर, केश में लगान ज्यादा से ज्यादा ले सकता है।

छुटे बांटे का कानून बनाया है उसमें लगान काइन्ड में लिया जाता है। एक लैंड होल्डर की, एक सब टिनेन्ट नहीं बल्कि एक दूसरा काश्तकार काश्त करने के लिये जमीन जोतता है और कैश लगान तय करता है तो उसकी मिकदार तय नहीं की है कि कहां तक लगान ले सकता है ? एक जागीरदार है या दूसरा है, जब तक जागीर रिज्यूम नहीं हो जाती तब तक के लिये, कह सकता है। कि बांटा मंजूर करेगा तो छुटा ही बांटा लूंगा और कैश में तय करूंगा तो सेटल्ड रेट से दो गुना, तीन गुना और चौगुना भी ले लूंगा। क्लॉज़ ६७ और आगे की धाराओं को देखने से पता चलेगा कि सब टिनेन्ट से टिनेन्ट इन चीफ, डेढ़ गुना या दो गुना से ज्यादा नहीं ले सकता जो वह राज्य में देता है, तो मेरी समझ मे नहीं आता कि एक लैंड होल्डर, टिनेन्ट इन चीफ, से वह कैश में लगान

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

ज़्यादा से ज्यादा कैसे ले सकता है ? माननीय मन्त्री महोदय इस ६५ ए. की भाषा पर विचार करेंगे और देखेंगे कि मेग्जिमम रेंट खातेदार टिनेन्ट से लिया जाता है कि पर्टीक्युलर क्वान्टिटी से ज्यादा ।

जहां सेटलमेंट हो चुका है, पर्चे बंटने बाकी हैं और सर्किल रेट्स एसेस हो चुकी हैं वहां सर्किल रेट से 'टिनेन्ट इन चीफ से भी 'लैंड होल्डर' ज्यादा नहीं ले सके और इसके साथ साथ सरकार भी सेटल्ड सेटलमेंट रेट से ज्यादा नहीं ले ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो सुझाव मेरे पूर्व वक्ता द्वारा रखा गया, अच्छा होता कि वे डेफिनिट अमेंडमेंट भी पेश करते । तो मैं समझता हूं कि इस क्लॉज को अभी पोस्टपोन कर दें, इस पर आगे विचार करेंगें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस खण्ड ६५ ए पर विचार-विमर्श स्थगित कर दिया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६५ ए पर विचार विमर्श स्थगित रखा गया ।

खण्ड ६६

क्लॉज ६६ में कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

श्री जवानसिंह—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री जवानसिंह—मैं खण्ड ६६ के सिलसिले में निवेदन करना चाहता था कि इसका हैडिंग 'Presumption as to rent' है । पर इस क्लॉज़ को देखते हैं तो इसमें प्रिजम्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

"The rent or rate of rent payable by a tenant shall be the rent or rate of rent payable by him under section 65, until it is varied in accordance with the provsions of this Act."

मैंने इस क्लॉज़ के कोरेस्पोन्डिंग क्लॉज यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में देखने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि थोड़े से शब्दों का हेर फेर है । प्रिजम्शन इस क्लॉज़ के अन्तर्गत दिया गया है । अगर इस क्लॉज को थोड़ा सा बदलें 'The rent or rae of rent payable by a tenant shall be',

[श्री जवानसिंह]

इसके बाद में presumed to be rent or rate of rent payable by him under section 65 until........."पढ़ा जाय। यदि इस तरह से तरमीम करें तो इसके मतलब में कोई फर्क नहीं आता और यह चीज स्पष्ट हो जाती है। प्रिजम्पशन जो समझता है वह "Shall be" के आगे "Presunced to be rent or rate....." रखने से ठीक हो जाता है शाब्दिक भेद है इसलिये इस पर जरा विचार कर लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या वर्डिंग्स हैं ?

श्री जवान सिंह—" In line two the words, 'presumed to be' be insertd between the words 'shall be' and 'the rent"

ज्यादा वर्ड्स होंगे 'presumed to be'

श्री उपाध्यक्ष—यह लिख लिया जावे।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत किया है.......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, इसको बाकायदा ही ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६७, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—संशोधन इस प्रकार है:

[श्री श्रीदास गोयल]

"In clause 67 : (a) The words 'cash' in line four be omitted.

(b) For the words 'in law, enactment, rule, decree or order,' the words 'in any law enactment, rule, decree or order for the time being in force' be substituted."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ६७ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट तो इस क्लॉज़ की भाषा ठीक नहीं लिखी गई थी इसलिये लाना जरूरी हुआ।

हमेशा कानून में जहां कहीं भी आप देखेंगे इसी प्रकार के टर्म हमेशा होते हैं। इससे भाषा ज्यादा स्पष्ट हो जाती है और ६७ का मतलब भी साफ हो जाता है। मेरे अमेन्डमेन्ट पेश करने के बाद यह इस तरह से पढ़ा जावेगा :

"Not with standing any custom, usage or practice to the contrary or anything contained in any law, enactment, rule. decree or order, for the time being in force, Government may prescribed the maximum extent of cash rents that may be recovered, etc. etc."

यह तो मेरा पहला अमेंडमेंट क्लॉज़ ६७ पर है।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि जहां 'कैश रेन्ट' लिखा है वहां से 'कैश' शब्द को डिलीट कर दिया जाय। वह इसलिये है कि ६७ ए, बी, सी, डी, इ, एफ, जितने भी बाद में क्लॉजेज़ हैं वे सब इससे सम्बन्धित हैं। उनमें कैश और काइंड दोनों का जिक्र है। इसलिये कैश शब्द का रहना ठीक नहीं। जब 'कैश' शब्द हट जावेगा तो वह हैड नोट में से भी कम हो जावेगा और "Maximum Cash Rent" के बजाय "Maximum Rent" रहेगा और 'कैश' नहीं रहेगा। तभी इसका मतलब पूरा होगा। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि 'कैश' शब्द को डिलीट करना चाहिये। जब यह पहले अलग हो जाता है तो हैड नोट में भी रह नहीं सकता। ये ही तो मेरा संशोधन हैं।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय सदस्य जरा इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कौनसी क्लॉज़ में 'कैश' और 'काइन्ड' रेन्ट हैं ?

श्री श्रीदास गोयल—६७ जी में आप मुलायजा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा। "Maximum rate of rent in kind..."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट्स सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने उपस्थित किये हैं वे मुझे स्वीकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने क्लॉज़ ६७ पर प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

दोनों ही संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ६७ ए, श्री एच. के. व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 67 A :

"(1) Delete the words 'shall not be less than 1½ times and' in line six of the clause.

(2) Substitute the word 'three' for the word 'four' appearing in the penultimate line of this clause."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ६७ ए में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं । मेरा पहला अमेंडमेंट लाइन ६ में 'shall not be less than 1½ times and' शब्दों को डिलीट करने के सम्बन्ध में है । क्लॉज़ ६७ ए. इस प्रकार है :

"Maximum rent in areas where land revenue is settled—In areas where land revenue has been assessed in cash by settlement upon estate-holders and rent is payable in cash by tenants the maximum to be prescribed by Government keeping in view the amount of land revenue and agricultural conditions under the

[श्री चांदमल मेहता]

foregoing section, shall not be less than 1½ times and shall not exceed four times the amount assessed as land revenue."

जहां इस धारा ६७ए. में जो 'assessed in cash by settlement upon estate-holders' जमीनें हो गई हैं उसके सम्बन्ध में टिनेन्ट को एस्टेट होल्डर्स को जो लगान देना होगा वह १।। से कम नहीं होगा और चार गुना से ज्यादा नहीं होगा। मैं नहीं समझ पाया कि इसको सिलेक्ट कमेटी ने किस मकसद से रखा है। मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने काश्तकारों के हित के बारे में कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने तो एस्टेट होल्डर्स के हित की बात सोची है। उन्होंने यह लिखा है कि १।। से कम नहीं होगा। इस प्रकार का कहीं भी कानून नहीं होता कि इतने से कम नहीं होगा। यह बात आपको किसी भी कानून में नहीं मिलेगी। यह एस्टेट होल्डर्स और काश्तकार दोनों की रजामन्दी है अगर वे चाहें तो १।। से ज्यादा लगान लें। मगर यह नहीं होता कि यह कानून बना दिया कि एस्टेट होल्डर को टिनेन्ट १।। से कम नहीं दे। जब यह इस प्रकार का कानून बन रहा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना लिया जा सकता है, उसके बारे में तो सरकार तय कर सकती है मगर यह तय नहीं कर सकती की इससे कम नहीं लिया जाना चाहिये। यह बात तो सरकार को किसानों और एस्टेट होल्डर्स पर छोड़ देनी चाहिये। इससे एक कठिनाई हो सकती है और वह यह कि हो सकता है कि कोई जमीन ऐसी हो जिसमें पैदावार कम होती हो और काश्तकार ड्योढ़ा लगान नहीं दे सकता मगर राजस्थान सरकार यह तय करती है कि एस्टेट होल्डर्स ड्योढ़ा लगान से कम नहीं ले सकते तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी।

तो इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मेरा पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि जहां यह व्यवस्था है कि ड्योढ़ा से कम लगान न लिया जाय, उसको डिलीट कर दिया जाय।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट इस क्लाज में है कि चार के बजाय तीन कर दिया जाय। वह इस तरह से है कि स्टेट होल्डर ज्यादा से ज्यादा चार गुना लगान ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो यह बड़ा भारी अन्याय होगा काश्तकारों के साथ में, चौगुना लगान किसानों से वसूल किया जाना उनके साथ बड़ा अन्याय है। आगे एक धारा यह आती है कि १५ हजार की आबादी है, और टिनेन्ट के नाम पर सब टिनेन्ट को रेन्ट पे करना पड़ता है तो जो रेन्ट असेस किया गया है उससे तिगुना से अधिक नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो जायगा और इसीलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि अधिक से अधिक लगान चार गुना के बजाय तिगुना कर दिया जाय। जहां शब्द 'four' रखा गया है उसके बजाय शब्द 'Three' सबस्टीच्यूट किया जाय। मैं आशा करता हूँ कि मेरे अमेन्डमेन्ट्स माननीय मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है;

[श्री तनसिंह]

"Substitute the word 'two' for the word 'four' occurring between the words 'exceed' and 'times' in the penultimate line of the clause.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन सदन के सामने मूव हुआ है उसके विषय में भी मैं निवेदन कर दूं कि वह मेरे संशोधन से सम्बन्धित है। मैंने संशोधन रखा है कि सरकार यदि मेक्सिमम रेन्ट की लिमिट रख सकती है, तो जैसा कि बिल में रखा गया है वह फोर टाइम्स तक रखी जा सकती है, मैंने उसे टू टाइम्स यानि डबल दी रेन्ट रखा है। अभी जो माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेन्ट रखा है और उसमें उन्होंने यह बताया है कि जो मिनिमम लिमिट है वह हटा दी जाय और 'फोर' की जगह 'थ्री' कर दिया जाय। मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ की मंशा, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य जिन्होंने अभी अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वे समझ नहीं पाये हैं। यदि हम कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम गवर्नमेन्ट को पूर्ण अधिकार, पूर्ण अख्तियार देते हैं कि वे विश्वेदारी और जमींदारी के सम्बन्ध में, रूल्स में, उनके पूरे पावर्स ले लें। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के ही हैं वे हम गवर्नमेन्ट को दे रहे हैं। इसलिए जो लिमिट १॥ की रखी गई है वह तो रहनी ही चाहिए क्योंकि अब तक जो कुछ प्रथा थी उसको साफ करने के लिए हम एक नये ढंग से कानून बना रहे हैं जिसकी कि हमको आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जरूर सत्य है कि इस प्रकार की संस्थाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की हमको आवश्यकता है और जब तक कानून नहीं बनता इस प्रकार की संस्थाओं को हमें मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम एस्टेट होल्डर पर अभी जो रेन्ट लागू है उसको 'फोरटाइम्स' तक, चौगुना तक टिनेन्ट से वसूल कर सकते हैं। यदि ऐसी मंशा है इस क्लॉज़ की तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अप्रगतिशील है। जब आपने जागीरदारी प्रथा के लिए जहां कहीं 'केश रेन्ट' वसूल न होकर 'काइन्ड' में वसूल होता था वह १।२ से १।४, और १।६ तक ले आये और इस प्रकार की तरमीन करने के बाद जहां कहीं जमींदारी और विश्वेदारी की प्रथा है या थी, जहां कैश में रेन्ट वसूल होता है वहां की जनता के लिए हमने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। अगर फोर टाइम्स रखने के पावर्स हम यदि स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में ऐसे पावर्स दे रहे हैं जिनसे स्टेट गवर्नमेन्ट किसी एरिया में जरूरत के मुताबिक कहीं चार-गुना, कहीं तीन गुना और कहीं दोगुना रख सकती है। तो यह ऐसी बात है कि हम सरकार के हाथ में ज्यादा पावर्स दे रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि अधिक से अधिक लिमिट भी ऐसी न हो जिससे इस कानून के देखने के बाद लोग यह कह सकें कि यह कानून अप्रगतिशील है। आज किसी एस्टेट होल्डर के ऊपर रेन्ट फिक्स किया गया है और वह कैश रेन्ट है उसका चौगुना वसूल करने को इस बीसवीं शताब्दी में हम मान्य करते हैं तो इसका मतलब, मैं यह निस्संदेह कहूंगा, यह कानून किसी रूप में भी प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मिनिमम लिमिट ही रहनी चाहिए। वह १॥ हो और जो मेक्सिमम लिमिट रखी गई है मौजूदा एक्ट में उसको कम करके उसको 'टू टाइम्स' किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ६७ ए में मेरा साधारणसा अमेंडमेंट है। लास्ट बट वन लाइन में जो फिगर्स १½ है उनको हटा कर "one and half" रख दिया जाय। क्योंकि ये वर्ड्स में हो होती हैं जिससे भूल नहीं होती है। तो यह एक साधारणसा अमेंडमेंट है।

श्री ईश्वरीसिंह—जो बातां कहीं गई हैं कि डेढो होनो चाहिए और ज्यादा सुं ज्यादा चौगुनो होनो चाहिए तो मूं तो आप लोगां ने यही राय दे सकूं हूं कि मन का लाडू मीठा मीठा फेर फीका का करो। जमीं कई अधर पधर आकाश में थोड़ी ठहरी रहे है। अड़ोस पड़ोस में जो चार खेत हैं वीं सु बत्ती लगान नहीं लियो जायो चाहिजे। डेढो और चौगुना को जो राख्यो है मूं तो यही कहे सकूं हूं कि लोगां ने छूट होगी लेकिन परमात्मा जाणे कि जमीन को फेर कोई भी ख्याल ही नहीं रहेगा। आप लोगां ने छूट है कि डेढो, दूनो तीगुनो चौगुनो मर्जी व्हे जस्यो कानून बनावो। आपने वोट पड़े आपकी कामयाबी होजावे तो करो। काश्तकारां सूं तमाम मुआवजो लियो जाय। काश्तकारां ने फायदा होगा, यो होगा, व्हो होगा। काश्तकारां ने तो यो फायदा होगा कि सो दोसौ और तीन सौ वर्षों में जस्या कानून नहीं बण्यो वस्यो कानून अबे बनायो जा रह्यो है। मूं तो याही जाणूं हूं कि अड़ोस पड़ोस में जको लगान लियो जा रह्यो है वस्यो ही लगान वांका सूं भी वो ही लेन्ड होल्डर ले सकेगो। यह तो ठीक होगा नहीं तो चार छोड़ दस गुना कर दियो जाय। मन का लाडू है। मैं इतनो ही केन बैठूं हूं।

श्री गोपाल भार्गव—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक क्लॉज़ ६७ ए का ताल्लुक है इसका असर उन एरियाज़ पर बहुत ज्यादा पड़ता है जहां जमीदारी सिस्टम है। धौलपुर में जमीदारी सिस्टम है। जो रेवेन्यू अभी वहां के लिये कायम हुआ है उसके अनुसार एक जमीदार एक काश्तकार से २५ पर्सेन्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ३३ पर्सेन्ट रेन्ट रेवेन्यू से ज्यादा वसूल कर सकता है। जहां मालगुजारी १००) रुपये की है उसका रेन्ट कम से कम १२५ होगा और ज्यादा से ज्यादा १३३ होगा। और अब इस क्लॉज़ में जो 'फोर' लब्ज रख रहे हैं उसका मतलब है अगर रेवेन्यू १००) रुपया है तो उसका रेन्ट ४००) रूपये तक वसूल हो सकता है। इस तरह से जिस रियासत में ड्योढे से कम लगान था वहां इससे चौगुना लगान कायम हो सकता है। इस तरह से यह क्लॉज़ किसानों के लिये नुकसानदेह साबित होगी। फोर की जगह टू टाइम्स रखा जाय इस प्रस्ताव से मेरी सहमति है और वही मन्जूर होना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, दफा ६७ में दो तीन तरमीमें माननीय सदस्यों ने पेश की हैं। सबसे पहले तरमीम परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश की है उनका कहना है कि लब्ज 'shall not be less than 1 1/2 times and' should be deleted; जहां आप यह फरमाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि किसी के आपस में कन्ट्राक्ट हो रखा है तो वह ड्योढे से कम लगान नहीं ले सकता। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय मित्र ने दफा ६७ बी को देखने

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

का प्रयत्न नहीं किया जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कन्ट्राक्ट है और उसका रेन्ट मेक्जीमम से कम पड़ता है तो उसमें कोई इनक्रीमेन्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई स्टेट होल्डर मुकर्ररा रेन्ट से कम लेने की सोचे तो इस कानून की तहत वह ऐसा नहीं कर सकता, वह ड्योढे से कम तो ले ही नहीं सकेगा। यह जो चीज उन्होंने कही गलत है वह चाहे तो मुफ्त में भी जमीन दे सकता है कोई राज्य की तरफ से या कानून की तरफ से मनाही नहीं हो सकती। और न इस प्रकार का कानून ही इस धारा द्वारा बनाया जा रहा है। यह तो सरकार को एक प्रकार का अधिकार दिया गया गया है कि मेक्जीमम रेन्ट जो सरकार फिक्स करे वह उस जिले की तमाम बातों को देखते हुए, पार्ट आफ दी डिस्ट्रिक्ट की हालात को देखते हुए डेढ गुने से लेकर चार गुना तक की लिमीट का ख्याल रखते हुए हर जिले के लिये, हर तहसील के लिये प्रेसक्राइब कर सकता है।

राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है जहां एक तरफ तो गंगानगर डिवीज़न है दूसरी ओर अलवर, भरतपुर जैसे जिले हैं जहां लेन्ड रेवेन्यू दो आना, चार आना पर बीघा है जिसका असेस रेंट दो चार रुपये तक हो सकता है। दूसरी तरफ वह इलाका है जहां ८) से १०) रुपये तक चकबन्दी की दर कायम की गई है। प्रत्येक इलाके में एक दर कायम कर दी गई तो सारे प्रान्त के लिये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए दफा ६७ ए० में एक लिमिटेशन कायम को गई है। जिसका कभी भी यह मतलब नहीं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक काश्तकार से अपनी रकम का चौगुना रेन्ट ले सकता है या स्टेट होल्डर चौगुना तक ले सकता है लेकिन सिर्फ रूल बनाने का अधिकार दिया गया है कि हर जिले के लिये हर तहसील के लिये तय करे। हर जिले और तहसील की मक्जीमम रेट ऑफ रेंट एक एस्टेट होल्डर टिनेन्टस से या सब टिनेन्टस से कितना ले सकता है। इस क्लॉज़ पर जब सिलेक्ट कमेटी में बहस हो रही थी उस समय भी विरोधी दल के कई सदस्यों ने यह आपत्ति की थी कि अगर ड्योढा रेंट लेने का कानून न रखा जाय और लिमिटेशन न रखी जाय तो मुमकिन है कि सरकार रुल्स बनाते समय कहीं ज्यादा लगान न दिला देवे सब टिनेन्ट या एस्टेट होल्डर को। जितना सरकार को देते हैं उतना ही सब टिनेन्ट बाया टिनेन्टको दें और उतना ही एस्टेट होल्डर को दें, इसी बात को ध्यान में रखते हूए, विरोधी पक्ष की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, यह लिमिटेशन कायम की गई है। कम से कम मेक्जीमम ड्योढा से चार गुना तक होगा। इसके अलावा मिनीमम कोई फिक्स नहीं किया गया। अगर कोई आपसी रजामन्दी से मेक्जीमम से कम लेना चाहे तो वह डिबार्ड नहीं है, वह ले सकता है। मौजूदा सेक्शन के जो शब्द हैं वे बिल्कुल ठीक है सिवाय इसके कि जो सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया है। यह जो 'फोर टाइम्स' रखा गया है इसका मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिये कि चार गुना लगान लगाने की स्कीम लायी जायगी यह तो सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि कहां कितना वाजिब है? इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना अमेंन्डमेंट वापिस लेंगे। शायद उन्होंने भूल से रख दिया होगा। मौजूदा सेक्शन है वह श्री दासजी गोयल की तरमीम के साथ स्वीकार किया जाय।

Page No.42

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्वमंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज़ जो इस वक्त रेन्ट रेटस मेक्जीमम क्या हो सकते हैं उसके लिये कानून बनाया हुआ है और इन सेक्शन्स में यही बात रखी गई है। और जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हैं वे खास तौर से अलवर और भरतपुर इलाके में लागू किया गया है इससे लोगों को काफी रिलीफ मिला है। तो इसके जरिये कोई ज्यादा लगान कायम करने की मंशा हो यह सोचना बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन अलग २ जगह अलग २ परिस्थितियों को देखते हुए मेक्जीमम हमने फोर टाइम्स रखा है। मैं इसको जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहा कहीं थ्री टाइम्स हो वहां उसको बढ़ाकर चार गुना कर देने की कतई इस क्लॉज़ का आशय नहीं है। दूसरी ओर कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर हम करीब २ एकसा फायदा मिले उस स्थान से अगर बढाने की जरूरत पड़े तो वह फोर टाइम्स लैंड रेवेन्यु बढ़ा सकते हैं इस बात की गुंजाइश रखी है। हाफ टाइम्स के बारे में एतराज किया गया है मेरी समझ में इन शब्दों को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं। इसलिये उससे कम करने की मंशा जैसी एक अमेंडमेंट की है जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया जब यह कहते हैं कि जो लेन्ड रेवेन्यु असेस्ड है उसपर मेक्जीमम चार्ज किया जाय यह कोई वाजिब नहीं होगा। यह बातें तो जहां विश्वेदारी और जमीदारी एरिया है वहां पर लागू होती हैं। उन एरियाज के अन्दर इसको लागू करने के परिणाम यह होंगे कि जहां बीस-बीस गुना और कुछ २ जगह तीस और चालीस गुना लगान लोग बाग लिया करते हैं वहां उसके मुकाबले जो द्विगुना ज्यादा से ज्यादा रखा गया है। उससे काफी रिलीफ होगा। हम अगर इससे और कम करना चाहे तो यह मैं समझता हूं, आज की परिस्थिति को देखते हुए वाजिब नही होगा। ऐसी स्थिति में जो बातें अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं उनको भी मैं समझता हूं, धारा ६७ देखने से स्पष्ट हो जायगा। जहां पर आज जो प्रचलित रेंट है उससे बढ़ाने का इससे प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन जहां पर रेक रेटिंग हो रहा है उस क्षेत्र में यह धारा अमल में लाई जा सकती है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसके साथ इस क्लॉज़ को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे इस सम्बन्ध में दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। जहां तक पहले अमेन्डमेन्ट का सवाल है, उसके लिए मैं सदन की अनुमति चाहूँगा उसको वापिस लेने की। पर जहां तक दूसरे संशोधन का सवाल है मुझे सन्तोष नहीं हुआ है माननीय सम्बन्धित राजस्व मन्त्री के जवाब से। जहां पर सरकार अपने हाथ में यह अधिकार रखना चाहती है चौगुना लगान इस्टेट होल्डर को दिलाने के बारे में, मैं फिर निवेदन करूंगा कि ईस्टेट होल्डर को चौगुना लगान दिलाने की चिन्ता रखने की बजाय सरकार किसान को राहत देने की बात सोचे और किसानों के सम्बन्ध में उनकी हित की बात सोचे।

इसके आगे ६७ बी आती है उसमें यह है कि दुगुने से ज्यादा लगान नहीं लेंगे या जहां १५ हजार से ज्यादा की आबादी है वहां तीन गुना ले सकते हैं, ऐसी स्थिति में यहां इस्टेट होल्डर को चौगुना लगान दिलाने की उनके प्रति सरकार की विशेष कृपा होने का कारण मैं नहीं सोच

Page No.43

[श्री चांदमल मेहता]

सका हूँ। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर फिर सोचें और इस पर भी सरकार अगर इस मेरे दूसरे संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं तो मैं तो इस अपने संशोधन को सदन की अनुमति जानने के लिए प्रेस करूंगा।

श्री तनसिंह—अभी जो उत्तर दिया गया है उसको सुनकर आश्चर्य हुआ। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि ६७ बी के अन्दर जो प्रोविजन दिया गया है उसके मुताबिक इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता लेकिन जब मन्त्री महोदयजी यह उत्तर देते हैं तो आश्चर्य होता है कि ६७ डी को देखा जावे तो यह मालूम होगा उसमें कि :

"The maximum laid down in SECTIONS 67A and 67B shall not operate to effect an increase in the amount of rent recoverable from a tenant or a sub-tenant who shall have at the commencement of this Act been paying rent at a scale lower than the scale which may be prescribed under the said sections."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई काश्तकार आज इस एक्ट के लागू होने से पहले कोई रेन्ट किसी मिकदार में देता आ रहा है तो उससे ज्यादा वसूल नहीं किया जावेगा। यह मैं मानता हूं। लेकिन इससे यह कभी मतलब सिद्ध नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेन्ट को अख्तियार नहीं है कि वह किसी एरिया में फोर टाइम्स तक मुकर्रर नहीं कर सकती। ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे भरतपुर का इलाका लीजिये या अलवर का लीजिये किसी भी इलाके में एक स्थान पर टिनेन्ट यदि डेढ़ गुना दे रहा है तो स्टेट गवर्नमेन्ट इससे बाध्य नहीं करेगा कि वह इस प्रकार की अड़चन नहीं लगा रही है कि वह वहां चार गुना मुकर्रर नहीं कर सकती। वहां पर भी उसको अधिकार है कि वह चार गुना मुकर्रर कर सकती है। पर सेक्शन ६७ बी का यह अभिप्राय है कि पहले से कोई टिनेन्ट अगर कम दे रहा है तो उससे कम लिया जावेगा। पर यह तो आज तक कब्जा होने वाले और काबिज रहने वाले टिनेन्ट के मुतल्लिक की बात रही। पर कोई नया काश्तकार स्टेट होल्डर से जमीन लेता है या आज कोई उस टिनेन्ट से जमीन लेता है तो वह ड्योढ़ा ही दे यह जरूरी नहीं है। उसके लिए सरकार रेंट बढ़ा सकती है। बल्कि वह चार गुना भी दिला सकती है। तो इस प्रकार जहां हम यह देखते हैं कि हमने ६७ बी रख दिया है और इसके कारण ऐसा कर रहे हैं। मसलन जो रेन्ट भरतपुर में डेढ़ा वसूल किया करते हैं वहां चार गुना हासिल नहीं किया जा सकता है यह दलील नहीं रखनी चाहिये। यह भुलावे की दलील है।

मैं स्पष्ट करदूं कि यह तो सिर्फ टिनेन्ट के सम्बन्ध में है और इस कारण किसी एक खास शख्स का जो आज तक ड्योढ़ा देता आ रहा है वह तो ६७ डी के लागू होने के बाद में नहीं ले सकता है और जिसने आज तक काश्त नहीं किया और नया आ रहा है उसको तो चार गुना देना ही पड़ेगा। इसमें कोई बाधा नहीं है।

(कुछ सदस्यों की बातचीत को लक्ष्य करके)

[श्री तनसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण कितना ही रद्दी और कैसा uninteresting ही क्यों न हो, पर स्वस्थ परम्परा की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता कि इस प्रकार का शोरगुल सदस्यगण आपस में न करें और इस तरह से आपस में बातचीत न करें और शान्ति से मुझे सुनें तो अच्छा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि माननीय मन्त्री महोदय ने यह बतलाया कि जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह अच्छा नहीं रहता कि हम चार गुना जो लगान के लिए क्लॉज़ है उससे कम करदें। इस बात से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जिसमें हम जो प्रोटेक्शन इस एक्ट के अनुसार जमीन्दार और विश्वेदार को देने जा रहे हैं वह प्रोटेक्शन ही हम देना नहीं चाहते पर इसको कानून की शक्ल में भी लाना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि क्षत्रिय महासभा के साथ में जैसा समझौता सरकार का हुआ है वैसा कोई समझौता जमीन्दार सेवा संघ से तो नहीं हो गया है जिससे वे प्रोटेक्शन उनको इस प्रकार का देना चाहते हैं।

यह ऐसी धारा है जो स्पष्ट रूप से देखने में भी ऐसी ही है और मैं तो समझता था मेरा तो यह खयाल था कि यह मिसप्रिन्ट होगी। और मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेंगे पर आश्चर्य इस बात का होता है कि वे यह कहते है कि किसी स्थान पर ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें वह स्वयं स्पष्ट नहीं कर सकते और जिसके कारण से वे इस प्रकार के रेन्ट को कम नहीं करना चाहते तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे हमारी परिस्थितियां क्या इस प्रकार की थीं कि हम जागीरी एरिया में जहां आधा रेन्ट वसूल किया जाता था वहां हम १।६ कर सकते हैं तो क्या कारण है कि जहां जमीनदार और विश्वेदार एस्टेट होल्डर्स हैं वहां हम कैश रेन्ट वसूल किया चाहते हैं वहां अब इस बीसवीं सदी में जो आधी गुजर गई, इस ऐसे जमाने में उससे चार-चार गुना लगान रखना चाहते हैं? यह एक ऐसी विचित्र सी बात है जो मेरी तो समझ में नहीं आती। इसलिये जब तक ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जावेगा समझने में आने वाली यह बात नहीं होगी। तो ऐसी हालत में मैं तो यही समझता हूँ कि कोई कारण ऐसा नहीं कि मैं अपना संशोधन वापिस लूं। और चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जिस प्रकार की चर्चा अभी की गई है उसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कहा गया कि जैसा समझौता जागीरदारों से हुआ वैसा समझौता कोई जमींनदारों से या विश्वेदारों से तो नहीं हो गया दूसरे ने कहा कि सरकार को तो एस्टेट होल्डर की चिन्ता पड़ी है, वगैरह। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें चिन्ता सब की है और किसी की भी नहीं है, ये दोनों बातें हमें मानकर चलना चाहिये और चिन्ता अगर कोई है तो इस बात की कि सबको वाजिब तौर से हिस्सा मिले और यही बात सामने रखकर हमें चलना चाहिये।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एस्टेट होल्डर के बारे में जो पहले फैसला किया गया वह एस्टेट होल्डर कितना अपने पक्ष में समझता है यह तो उनको पूछने से ही पता चल सकता है, उनके पास जाने से ही मालूम हो सकता है। तो उनको राहत दी जा रही है या क्या किया जा रहा है तो इस बारे की हम जो कुछ चर्चा यहां कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा तो यह होता कि हम इन सारी बातों पर ज्यादा सोच समझ कर कुछ कहते।

एक बात जरूर समझ में आती है कि एक गलती हो सकती है इससे कि पहले थ्री टाइम्स भरतपुर और अलवर में रखा है और फोर टाइम्स तक रखने से कुछ भ्रम फैलने का प्रयत्न लोगों के द्वारा किया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की मंशा यह है और इसमें वह और आगे बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि मैग्ज़िमम थ्री टाइम्स हो।

श्री उपाध्यक्ष—खण्ड ६७ ए पर दो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किये हैं। इनमें से पहला वे वापिस लेना चाहते हैं। क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा पहला संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो उस खण्ड पर इनका संशोधन नं० २ है, कि बजाय चार गुना के तीन गुना किया जावे, वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन नं० २ स्वीकार किया गया।

श्री तनसिंह—अब जब कि थ्री टाइम्स का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूं, मुझे वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं। क्या हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—बड़ी गलती की कल तक तो शायद दुगुना हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री श्रीदास गोयल का जो संशोधन है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ ए, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ ए, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६७ बी

(विराम)

इस क्लॉज़ में कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ बी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ६७ सी

क्लॉज़ ६७ सी, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक फॉर्मल एमेंडमेंट है। ६७ सी में बिल्कुल उसी प्रकार का जैसा कि ६७ ए में था कि फिगर्स १॥ के बदले शब्द "one and a half" सबस्टीट्यूट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है?

Page No.47

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मन्जूर है ।

श्री उपाध्यक्ष—एक और एमेन्डमेंट है श्री चांदमल मेहता का ।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment in the Explanation to Clause 67C :

"Substitute the figure '25,000' for the figure '15,000' occurring in line three.

उपाध्यक्ष महोदय, जहां ६७ सी में "Higher Maximum in certain cases." की क्लाज दी गई है । उसमें एक एक्स्प्लेनेशन है और वह इस प्रकार से है :

"Urban area in this section means an area consisting of Abadi as well as agricultural lands within two miles of a town with a population of not less than 15,000 persons."

यह १५ हजार के बजाय २५ हजार रखने का मेरा एमेंडमेंट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिक से अधिक कितना लगान लिया जा सकता है उसको दो हिस्सों में विभक्त किया गया है और उसमें से एक दुगुना है और एक तिगुना । जहां १५ हजार से अधिक की आबादी है वहां यह दिया गया है कि तिगुना लगान वसूल किया जा सकता है, और तिगुने तक लगान वसूल करने के बारे में जो पीछे विचार है वह संभवत: यह हो सकता है कि अरबन एरिया में काश्त के ऊपर कुछ विशेष खर्चा पड़ता है, उनको लेबर महंगा पड़ता है और संभव है इस विचार को लेकर ही दुगुने के बजाय तिगुना रखा है ।

जहां तक १५ हजार की आबादी वाली जगह को अरबन एरिया मानने का सवाल है मैं यह निवेदन करूंगा कि १५ हजार के ऐसे कस्बे मौजूद हैं कि जिनको हम सही मायने में काश्तकारी गांव ही कह सकते हैं । उनको शहरी कस्बे कहें ऐसी बात नहीं है । तो इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां १५ हजार है उनके बजाय २५ हजार कर दिया जाय ।

श्री जवानसिंह—यह भी बता दें कि किशनगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है ?

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ की पापुलेशन ३० हजार हैं, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में जब बिल आया था तब इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और यह डेढ़ गुने के करीब है । उस वक्त स्पष्ट कर दिया गया कि १५ हजार की आबादी के पास की जमीनों में हमने जब एन्क्वायरी की तो हमको मालूम हुआ था कि दूसरी जगह जो लगान लिया जाता है उसके मुकाबले में उन जमीनों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

में जो कुछ पैदावार की जाती है उससे वहां के काश्तकारों को ज्यादा आमदनी होती है, मार्केट नजदीक होने से और उसका रिटर्न ज्यादा मिलता है और इसी वजह से रेकरेटिंग फीगर्स बाहर के इलाकों से १५ हजार के आसपास के कस्बों को ज्यादा था। उसी कारण थ्री टाइम्स रखते हैं। परिणाम में जहां अलवर और भरतपुर में इस बात को देखेंगे तो एक बीघा जमीन काश्त पर दो चार रुपये का ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा पैदावार होती है। यह काश्तकार के ऊपर भार नहीं है। ज्यादा इनकम है और एक छोटी सी रकम वह एस्टेट होल्डर को देगा। उससे ज्यादा नहीं दिलाते हैं। मैं समझता हूँ यह उपयुक्त है, क्योंकि इसके पीछे जो रेन्ट है उतना ही उस जमीन से कमाता है उसके मुकाबले में इतना ज्यादा लगान देकर वह कमायेगा। ऐसी हालत में उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यह क्लाज़ ज्यों की त्यों ही रहनी चाहिए। माननीय सदस्य से मैं आशा करूंगा कि उसके औचित्य को समझते हुए वह अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा संशोधन वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एन. के व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री श्रीदामजी गोयल का संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६७ सी संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No.49

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ६७ सी, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ६७ डी

क्लॉज़ ६७ डी, पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ डी विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ डी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ६७ ई।

क्लॉज़ ६७ ई, श्री एच. के व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा अमेंडमेंट नं० १७१ है। वह इस प्रकार है:

"(1) Insert the words 'or causes to be realised' between the words 'realises' and 'any rent', occuring in the second line of the clause."

"(2) Renumber the clause as sub-clause (1) and add the following new sub-clause (2):

'(2) Whoever knowingly realises or has reason to believe to have realised any excess rent as referred to in sub-section (1) may on being prosecuted by the Tehsildar be punishable with a fine which may extend to one hundred rupees.'"

पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संशोधन के विषय में वह यह है कि आम तौर पर जागीरदार स्वयं रेन्ट वसूल करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उनके द्वारा काम कराया जाने वाले या उनके ठिकाने के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी रेन्ट वसूल करते हैं, इसलिए मैंने काल्जेज़

[श्री तनसिंह]

"टू बी रिएलाइज्ड" शब्दों को जोड़ने के लिए निवेदन किया है। उसकी जिम्मेदारी न केवल लैंड होल्डर पर रहती है बल्कि उसके द्वारा भेजे गये उसके कर्मचारियों द्वारा वसूल किये जानेपर भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है।

दूसरा मेरा संशोधन जो है वह यह है कि हम देखते हैं कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि किसी को भी अधिक रेन्ट वसूल करने की इजाजत नहीं है लेकिन दूसरी ओर ज्यादा रेन्ट वसूल करने वाले को सजा देने के लिए कोई पीनल क्लॉज़ नहीं है इसलिए इसका होना जरूरी है। मैंने सारे एक्ट को देखा तो इस प्रकार की पीनल क्लॉज़ देखने में नहीं आई। कोई आवश्यकता से अधिक वसूल करता है तो उसको सजा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। एक ओर तो छूट देते हैं कि किसी प्रकार से अधिक लगान वसूल नहीं करें और दूसरी ओर यह छूट देते हैं कि यदि कोई वसूल कर भी ले तो उसको कोई सजा का प्रोविजन नहीं है, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम उनको गलती करने के लिए, ज्यादा वसूल करने के लिए रास्ता देते हैं और फिर उनको क्रिटीसाइज़ करते हैं कि वे जागीरदार या लैंड होल्डर अत्याचारी हैं जो ज्यादा लगान वसूल करते हैं। यदि पहले ही इसकी रोक रखी जाती तो ऐसा अधिक वसूल करने की हिम्मत नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि हम खुद मौका देते हैं कि जागीरदार ज्यादा लगान वसूल करें और पीनल क्लॉज़ नहीं होने के कारण उन को ही एक्सप्लोइट करना शुरु कर देते हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कोई लैंड होल्डर फिक्स्ड रेन्ट से ज्यादा वसूल करता है तो उसको सजा होनी चाहिये। मौजूदा क्लॉज़ के हिसाब से यदि कोई आदमी १००) के बजाय १५०) वसूल करता है तो उसको क्या नुकसान होता है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उससे ५० रुपये वापिस दिला दिये जायेंगे उससे भी उसको क्या नुकसान होगा? ५० रुपये कुछ दिनों तक तो उसके पास रहे ही जिसका एडवान्टेज उसने उटाया या ब्याज कमाया। उसका क्या बिगड गया? यदि पीनल क्लॉज़ रखी जाती तो मुझे यह मालूम होता कि यदि ज्यादा लूंगा तो सजा हो जायगी तो मैं ज्यादा वसूल करने की कोशिश ही नहीं करुंगा इसलिए मैं ने अपने संशोधन पेश किये हैं। आशा है आप इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री **जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनके विरोध में दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरा पहला निवेदन यह है कि अभी जिस माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया है कि पीनल क्लॉज़ हर कानून की धाराओं में होनी चाहिये और उन्होंने इतनी दृढ़ता से यह भी निवेदन किया कि मैंने पूरे बिल को पढ़ा और उसमें कहीं भी पीलन क्लॉज़ नजर नहीं आई। और वही पीलन क्लॉज़ यदि वे इस वक्त भी ढूंढने की कोशिश करें तो मैं संकेत करुंगा धारा १६५ की ओर जहां वे इस बात को पायेंगे कि यदि कोई आदमी ड्यू से ज्यादा रेन्ट वसूल करता है तो कोर्ट को अख्त्यार है कि १००) रुपये तक यदि कोर्ट चाहे तो बतौर कंपेन्सेशन या नुकसान के दिलवा सकता है। यह हक इस कानून की तहत में देने के लिए रखा गया है और जब आगे की धारा पास करेंगे तब माननीय मित्र को संतोष हो जायगा। इसलिए यह कहना कि क्यों कि पीनल क्लॉज़ नहीं

Page No.51

[श्री जवानसिंह]

है, इसलिए इस एमेन्डमेंट को रखने की आवश्यकता है, मैं उचित नहीं समझता । हमने इसके लिए जो प्रोविजन किया है वह उचित अवसर पर उचित अध्याय में आयगा इसलिए उनको इस बारे में संतोष करना चाहिये ।

दूसरी बात उन्होंने 'काज्ड टू बि रिएलाइज़्ड' बढाने के लिए निवेदन की है । इसके बारे में मेरी निवेदन यह है कि यदि एक आदमी खुद जानबूझ कर गलती करे तो उसको सजा देना वाजिब है । लेकिन उसकी तरफ से दूसरा आदमी गलती करता है तो उसको सजा देनी नहीं चाहिये । ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें रेन्ट ज्यादा या कमती रिएलाइज हो सकता है । वसूली में मतभेद हो सकता है । यदि रेन्ट ज्यादा वसूल कर लिया गया है तो काश्तकार को हक है कि उसको वापिस ले सके । लेकिन दूसरे आदमी की गलती का भार लैंड ऑनर पर डालना उचित नहीं है । इसलिए इन दोनों संशोधनों की आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा काम मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने पूरा कर दिया है । मैं समझता हूँ मुझे उसमें ज्यादा एड नहीं करना है । यह क्लॉज़ जिस प्रकार से है उसी प्रकार इसे स्वीकार करना उपयुक्त होगा ।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दिया मैं समझता हूं, उन्होंने यह कहा कि अभी पूर्व वक्ता ने जो मेरे बांयी ओर बैठे हैं, जो भाषण उन्होंने दिया उसको डिटो किया जिसको हम उनका जबाब मान सकते हैं । मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि मैंने सारा एक्ट देखा है । क्लॉज़ १६५ भी देखा उसमें कम्पेन्सेशन के तौर पर कुछ दिलाने का लिखा है । लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि ऐसा कभी साबित होने पर कि जागीरदार या लैंड होल्डर ने आवश्यकता से अधिक वसूल किया है ऐसा सबूत होने पर भी आवश्यक नहीं है कि टिनेन्ट को मुआवजा दिया जाय क्यों कि कम्पेनसेशन शब्द ऐसा है जिसमें काफी झंझट पड़ सकती है । जो रेन्ट वसूल हुआ है उसके बारे में कम्पेन्सेशन यह सोचकर दिया जायगा कि कितना अधिक वसूल हुआ, उसको वसूल हुए कितने दिन हो गये । यदि वह रकम किसान के पास रहती तो उसका उसको कितना ब्याज मिल सकता था, यदि वह अमाउन्ट उसके काम में आती तो उसको उससे कितना फायदा होता ? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपेन्सेशन का प्रोविजन रखा है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अधिक लगान वसूल किया है उसको जुर्माने के तौर पर यह कंपेन्सेशन देना होगा । यह तो कंपेन्सेशन या हरजाने के तौर पर दिया जायगा, यह सजा के तौर पर नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि धारा १६५ में जो हवाला दिया है वह सजा के तौर पर नहीं है ।

[श्री तनसिंह]

दूसरी बात "काज़्ड टू वी रिएलाइज्ड" हैं उसको भी स्वीकार नहीं कर सकता, यह बात मंत्रीजी ने बताई हालांकि इन दोनों के विषय में उन्होंने कोई दलील नहीं दी लेकिन इसके बारे में उन्होंने 'ना' कहा यह देखकर आश्चर्य होता है। कोई जागीरदार खुद रिएलाइज़ करने नहीं जाता। बड़े जागीरदार तो कतई नहीं जाते। उनके आदमी या नौकर रेन्ट वसूल करने जाते हैं और जागीरदार परवाह नहीं करते कि कितना ज्यादा या कम वसूल करके लाया जाता है और किस तरह लाया जाता है। जिसकी ओर से वसूल किया गया है उसकी विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिये। यदि उनके आदमी अधिक वसूल करते हैं तो मैं समझता हूं उनको पिनेलाइज़ करना चाहिये, क्योंकि जो बड़े जागीदार हैं और जो अपनी वसूली के लिये स्वयं नहीं जाते हैं और अपने कर्मचारियों के जरिये ज्यादा लगान वसूल कराते हैं, तो मैं समझता हूं, इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है जिससे एक्सेस रेन्ट वसूल करना बंद हो जाय। यदि कोई कर्मचारी जाकर फिक्स्ड रेट से ज्यादा वसूल कर लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस जागीरदार या लैंड ऑनर पर होनी चाहिये, मेरे संशोधन की यही मंशा है।

जो लैंड होल्डर के द्वारा बोया गया है और रेंट जरूरत से ज्यादा वसूल कर लिया गया है इससे वह रेंट जो अधिक है, वसूल किया गया, ऐसी कोई धारा नहीं है तो "canses to be realised"

ऐसे शब्द थे जो तर्क संगत थे, जिनको कि स्वीकार न करने का कारण मेरी समझ में नहीं आता।

जो उत्तर दिया गया है उसे तो आपने और सदन ने सुना ही है, उसको सुन कर तो मैं मानता हूं कि इस संशोधन के उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा।

मैं अब भी सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने प्रस्तुत किया है क्लॉज़ ६७ ई. पर उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ ई विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ६७ ई विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

खण्ड ६७ एफ

क्लॉज़ ६७ एफ, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ६७ एफ के उप खण्ड (२) की पहली लाइन में मेरा संशोधन है, जो भाषा शुद्ध बनाने की दृष्टि से पेश किया है :—

"Any person aggrieved with the order of the Tehsildar" यहां "with the" के स्थान पर "by an order" होना चाहिये। यह भाषा शुद्ध नहीं है :—

"any person aggrieved with the order of the Tehsildar......"

बल्कि जो भाषा आम तौर से काम में लाई जाती है वह यह है कि :—

"Any person aggrieved by an order of the Tehsildar......"

और यह सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा ही है, दूसरी जगह भी ऐसा ही है इसलिये : "aggrieved with the order" को हटा कर "aggrieved by an order" कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—यह शाब्दिक संशोधन है, क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ एफ, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ एफ, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

खंड ६७ जी

क्लॉज़ ६७ जी, श्री एच. के. व्यास।

[श्री उपाध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ६७ जी के सब क्लॉज़ (२) के पार्ट (सी) में यह वर्ड्स हैं :

"Rajasthan Minor Irrigation and Drainage works Act, 1953"

इसके बाद in brackets:

"(Rajasthan Act No. XII of 1953)"

यह मैं और एड कराना चाहता हूं । जैसी कि परम्परा है, हर एक्ट की, कि उसके साथ उसके नम्बर दिये जाते हैं । इसलिये यह और एड कर दिया जाये । यही मेरा अमेंडमेंट है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—Accepted.

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ने जो संशोधन रखा है क्या वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ जी, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ जी, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ६७ एच

क्लॉज़ ६७ एच, श्री श्रीदास गोयल ।

श्री श्रीदास गोयल—६७ एच पढ़ा गया है, वह एच शायद इसमें नहीं है; प्रिन्टिंग मिस्टेक है। माननीय उपाध्यक्षजी ने पढ़ दिया है तो बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ६७ एच बदस्तूर रहना चाहिये पर इस लाइन ३ में :

"and land-holder contributes to the production of crops by sharing expen-ses on manure and seed to the extent of fifty percent..."

"and the landholders होना चाहिये।

प्रोविजो में भी मेरे कुछ अमेंडमेंट हैं वो इस प्रकार हैं :

"The" की जगह 'A' होना चाहिये।

"Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recognised by a revenue court unless a written contract attested by..."

यानि 'the Sarpanch' के बजाय 'a Sarpanch'...

"of a Gram Panchayat" के बजाय "of the Gram Panchayat"

"Gram Panchayat" के बाद "of the circle" एड कर दें।

"has been made by the land-holder with the sub-tenant Of tenant of Khudkasht"

तो इस अमेंडमेंट के बाद यह प्रोविजो इस तरह से पढ़ा जायगा :

"Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recognised by a revenue court unless a written contract attested by a Sarpanch of the Gram panchayat of the circle has been made by the land-holder with the sub-tenant or tenant of Khudkasht."

यह मेरा एक अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट से चूंकि सरपंच ग्राम पंचायत लिख दिया है इससे किसी भी दूसरी ग्रामपंचायत के सरपंच से कोई एटेस्टेशन करवा सकता है। पर जिस सर्किल से वह सम्बन्धित हो उस सर्किल के सरपंच से ही एटेस्टेशन होना चाहिये नहीं तो किसी दूसरी ग्राम पंचायत के सरपंच से करा सकता है। जिस सर्किल का रहने वाला हो उसी सर्किल की ग्राम पंचायत के सरपंच से एटेस्टेशन कराना चाहिये, यही फंडामेंटल रूल ऑफ एटेस्टेशन है। बीकानेर का रहने वाला जयपुर में और जयपुर का रहने वाला बीकानेर में एटेस्टेशन करा ले यह जस्टि-फिकेशन नहीं।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो एक अमेंडमेंट पेश किया गया, इस वक्त जो प्रोविजो इसमें मौजूद है, इसके सिलसिले में मुझे आशंका है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपने सामने एटेस्टेशन का जो तरीका रखा है वह काश्तकार के लिए सरल और सुलभ हो सकता है, बनिस्पत एटेस्टेशन एक्ट में बताये गये तरीके से।

पहले वह केवल ग्राम पंचायत के सरपंच तक सीमित रखा है। मैं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि उस सूरत में क्या परिस्थिति होगी जहां कि ग्राम पंचायत नहीं है, सरपंच नहीं है ? ऐसी सूरत में बड़ी मश्किल होगी। किससे एटेस्टेशन कराया जाय ? बड़ी उलझन होगी।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (दाता रामगढ़)—क्लॉज़ ६७ में यह जो प्रोविजो दिया हुआ है इसके विरोध में मुझे कुछ बातें सदन में प्रस्तुत करनी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जैसा कि अभी एक मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि यदि किसी स्थान पर पंचायत बोर्ड नहीं है, उसमें यदि इस प्रकार के एटेस्टेशन की आवश्यकता पड़े तो ऐसे एटेस्टेशन के अभाव में जो कार्यवाही की जायगी वह सारी की सारी अनुचित ठहराई जा सकती है। यह अनुचित ही नहीं होगा बल्कि उसको पूरा करने के अन्दर काफी अड़चन पैदा हो सकती है। एक अड़चन तो आपको यह होगी कि अमूमन यह देखने में आया है कि ग्रामों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी काश्त की जाती है और अक्सर यह देखने में आया है कि जिस सिस्टम को हम इन्टोड्यूस करना चाहते हैं वह गांवों में नहीं बल्कि शहरों में होता है। यदि यह प्रोविजन इसी प्रकार रहा तो इसका तात्पर्य यह होगा कि चाहे वह व्यक्ति म्युनिसिपिल बोर्ड का रहने वाला है तो भी उसको ग्राम पंचायत के सरपंच से और वह भी उस सर्किल के सरपंच से attested कराना होगा। मैं यह कहूंगा कि यह दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। वह किसी भी प्रकार से प्रेसिडेन्ट म्यूनिसिपिल बोर्ड से इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करा सकता। जब तक वह सरपंच से रिकमन्ड नहीं होगा तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिये एक दिक्कत तो यह होगी कि ग्रामपंचायतों के साथ साथ ऐसी जगह भी लोगों के खेत होते हैं जिनका ग्रामपंचायतों से कोई ताल्लुक नहीं होता और उनका संबंध म्युनिसिपल बोर्ड से होता है। इसलिए मेरा यह तात्पर्य है कि इन शब्दों को भी इसके साथ जोड़ दिया जाना चाहिये। लेकिन फिर ग्राम पंचायतों के साथ साथ चेयरमेन म्युनिसिपिल बोर्ड को भी जोड़ा जाय तो फिर भी वह अड़चन यों की यों ही बनी रहेगी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि राजस्थान में जितनी गड़बड़ Local self government विभाग में हो रही है उतनी राजस्थान के किसी भी विभाग में नहीं। इसीलिए आये दिन अनेक स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे यहां म्युनिसिपेलिटी नहीं है, हमारे यहां चुनाव नहीं हुए है। तो कहीं जबरदस्ती चुनाव हो गये हैं।

Page No.57

[श्री भैरोंसिंह]

कहीं पंचायतों में इलेक्शन नहीं हुए हैं और कहीं सरपंचों को बिना किसी प्रकार की कार्यवाही किये ही मुकर्रर कर दिया जाता है। लोगों को मालूम नहीं होता कि आया इनके गांव में पंचायत है या नहीं ? कौन सर पंच है ? अगर कोई अदालत में झगड़ा पैदा हो जाए और वहां जाए तो सारी कार्यवाही गलत करार दी जा सकती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपलिटी के चेअरमेन को और सरपंचों को अलग रखा जावे। और जिस को जरूरत हो वह कोम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर अपना काम करा सकते हैं। अगर उनको इस झगड़े में डाल दिया गया तो इस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के कारण सारी की सारी कार्यवाहियें भ्रष्ट हो जावेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस शक्स को रिकमन्डेशन करानी होगी तो वह तहसील में जाकर, जिस प्रकार और भी कार्य कराने के लिये जाता है, उसी प्रकार जा कर करा लेगा। इसलिये इसको हटा दिया जावे। यदि नहीं तो म्युनिसिपल चेअरमेन और ग्राम पंचायत नहीं होने की सूरत में जो अधिकारी यह काम करता है उसको रखा जावे। यह जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको करना है तो इसमें ये दोनों बातें पास की जावें। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, संभवतः दोनों माननीय सदस्य इसके बारे में समझने में भूल कर गये हैं। इसलिये मैं इस बारे में कुछ स्पष्टिकरण कर देना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह—आपके स्पष्टिकरण की आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—मैं मुमनी नहीं हूं। स्पष्टिकरण कर सकता हूं।

रजिस्ट्रिंग ऑथरिटी हर जगह मौजूद है। लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन के माफिक कहीं भी यह तस्दीक हो सकता है। लेकिन गांव की जनता रजिस्ट्रींग ऑथरिटी के पास न जाकर सरपंच से भी करा सकती है। इसमें मेरे माननीय मित्रों को किसी प्रकार की कठिनाई और संदेह नहीं रहना चाहिये। यह तो उनको सहूलियतें हैं। सिद्धान्त यह जरूरी है कि जिस जुरिडिक्शन में वह रहता हो उसके अधिकारी से एटेस्ट करा सकता है। अगर एक बीकानेर का रहने वाला है उसको उसी जगह से एटेस्टेशन कराना होगा। हर एक तहसील में राजस्थान सरकार की तरफ से रजिस्टरार नियुक्त है जो एटेस्ट कर सकते हैं। मगर मैंने लोगों की सहूलियत के लिये ग्राम सरपंच की बात कही है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसमें काफी वजन है। दर असल ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं जो ग्राम पंचायतों में न होकर म्युनिसिपल बोर्ड में हो सकते हैं ? ऐसे स्थान भी हैं जहां ग्राम पंचायतें नहीं हैं वहां इस प्रकार की सुविधाएं किस प्रकार दी जा सकती हैं। इसलिये मैं इसमें एक सुझाव पेश करना चाहता हूं और वह यह है।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recognised by a revenue court unless a written contract attested by the Sarpanch of a Gram PanChayat has been made by the landholder," etc. etc. इसमें 'written Contract की जगह ,registered agreement' कर दिया जावे तो सब तरह की डिफिकल्टीज़ दूर हो जावेगी और काश्तकारों को भी बेजा दबाव डाल कर कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं लिखाया जावेगा। बेजा दबाव डालकर किसी प्रकार का एग्रीमेंट किसानों से नहीं लिखाया जावे 'इसीलिये यह सरपंच के एटेस्टेशन की बात रखी है ।।इस डिफिकल्टी को ज़िनाइन करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको .REGISTERED DEED' कर दें तो अच्छा होगा में समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें तो यह सेक्शन इस तरह से पढ़ा जावेगा ?

'Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recognised by a revenue court unless a registered deed has been made by the landholder" तो मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सुझाव को स्वीकार करें तो जो डिफिकल्टी माननीय सदस्य ने बताई है वह भी रफा हो जाती है ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ६८ (ए) में दांता रामगढ़ से आने वाले हमारे साथी ने जो अपनी दिक्कतें पेश की हैं वे वास्तव में सही हैं, लेकिन उनको हल करने के लिये जो तरीके मेरे मित्र, पूर्व वक्ता ने, बताये वह ऐसे है कि जिससे लोगों की और दिक्कतें बढ़ जावेंगी। यह एटेस्टेशन का प्रोविजन रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि लोग फर्जी दस्तावेज नहीं बना सकें और एटेस्टेशन उन लोगों द्वारा होना चाहिये जिनके पास एटेस्टेशन को ऑथरिटी हो।

यह ठीक है कि रजिस्ट्रेशन से फर्जी दस्तावेजात नहीं बन सकेंगे, किन्तु और जो दिक्कतें पैदा होंगी उसकी ओर मेरे दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया है। हरएक गांव वाले को, सबटिनेन्ट को, जो देना होगा उसके लिए तहसील हेडक्वार्टर पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जायगा। अटेस्टेशन का जो फिक्र रखा गया है वह इस वजह से है कि फर्जी दस्तावेजात न बनें। आस-पास के गावों में सरपन्च रहेंगे इसलिए अटेस्टेशन हो जायगा। इसमें एक दिक्कत आ सकती है और वह यह है कि जो जमीनें म्युनिसिपल हद में होती हैं उनका अटेस्टेशन कराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वहां तो सरपन्च नहीं होते हैं। जो अमेंडमेंट सवाई माधोपुर से आने वाले भाई ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय किन्तु जो जमीन म्युनिसिपेलटी की हद में है, उनका अटेस्टेशन किसी सरपन्च से नहीं कराया जा सकता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस दिक्कत को दूर करने के लिए कि म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन को अधिकार दे दिया जाय। हर सर्कल में लेन्ड रेकर्ड्स के इन्सपेक्टर्स होते हैं उनको भी अधिकार दे दिया जाय कि सरपन्च न हो तो उनसे अटेस्टेशन कराया जा सकता है। हर सर्कल में इन्सपेक्टर होते हैं, यदि सरपन्च किसी वजह से तंग करना चाहता है तो वे ऑफिसर्स के पास पहुँच सकते हैं और यदि ऑफिसर्स तंग करना चाहते हैं तो वे सरपन्च के पास पहुंच सकते

[श्री वेदपाल त्यागी]

हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन रखा गया है उससे खर्चा पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में काफी खर्चा होता है। रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो पहले दस्तावेज़ लिखाने पड़ते हैं, फिर स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करते हैं तो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है वह यह होती है कि लोगों को चल कर तहसील हेडक्वार्टर पर आना पड़ता है इसके अलावा भी जो दिक्कतें होती हैं तो क्या मेरे लायक दोस्त उसको नहीं समझते हैं? तहसीलदार दौरे पर चला गया, लोगों को दो-दो तीन-तीन दफा जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए उन लोगों को हक देने चाहिए जिनसे कि उनका सम्बन्ध है, जैसे म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन और सर्कल इन्स्पेक्टर। इससे उनकी दिक्कतें दूर हो जावेंगी।

श्री जवानसिंह—मैं इस सदन का ध्यान धारा ४ की उपधारा ३० की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(राजस्व मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो गई है और मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा कि जो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने के साथ साथ चेयरमेन म्युनिसिपल बोर्ड को भी एक ऑथरिटी बना लिया जाय और फिर ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि दोनों ही न हो तो उसके बाद रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्ट के लिए इसमें एड कर दिया जाय। फिर कोई गुन्जाइश नहीं रहेगी जिसमें सहूलियत भी हो। सरपन्च के लिए, म्युनिसिपेलिटी "and if they want, either of these two, or a registered contract"......

(विराम एवं अनौपचारिक चर्चा)

श्री जवानसिंह—अब यह प्रोविजो किस तरह से रीड करेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रीड इस प्रकार करेंगे :

"Provided that the Practice of crop-sharing under this section shall not be recognised by a revenue court unless a written contract attested by the Sarpanch of a Gram Panchayat of the circle or Chairman of Municipal Board of that area or a registered contract has been made by land-holder with the sub-tenant or tenant of Khudkasht."

श्री श्रीदास गोयल—Registered deed.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Registered deed or registered agreement.

(विराम)

Page No.60

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

I think I have just explained my point that we can have the Sarpanch of the Gram Panchayat, Chairman of a Municipal Board and a registered contract. They are all 'or'.

श्री उपाध्यक्ष—Is that all right ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That will cover......

श्री नाथूराम मिर्धा—All emergencies.

श्री वेदपाल त्यागी—दोनों रखने से तो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रेक्ट ही रख दिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Or we can have only 'registered contract'. Delete all.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—That is the best.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Or we may simply keep 'registered contract' and delete all other things.

श्री वेदपाल त्यागी—That would create difficulties.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have got no objection if only 'registered contract' is kept and we delete all other things, Gram Panchayat and Municipal Board and other things. I have got no objection if we delete all other things and simply keep "by a Revenue Court unless a registered contract has been made by the land holder with the sub-tenant or tenant of Khudkasht."

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Speaker, Sir, if it is for more than year, it should be registered. If it is less than that, attestation will be sufficient. In case of lease for more than one year, registration will be necessary.

श्री कपिल देव अग्रवाल—It is not a lease.

श्री वेदपाल त्यागी—Crop-sharing shall always be for one year.

श्री मोतीलाल चौधरी—Mr. Deputy Speaker, Sir, पहले ११६ किया है। ११४

[श्री मोतीलाल चौधरी]

क्रोप-शेयरिंग में खाद देते हैं, बीज देते हैं। तो इसलिए बैटर है कि यहां रजिस्टर्ड कॉन्ट्रेक्ट ही रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Now finally how it would be like ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Finally it would be like this :

"Provided the practice of crop-sharing shall not be recognised by a revenue court unless a registered contract has been made by land-holder with the sub-tenant or tenant of Khudkasht."

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Not 'registered contract'

"Unless a contract has been made by registered deed by land-holder with the sub-tenant or tenant of Khudkasht.'

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(To Shri Agrawal). Now put it in final form.

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन शाब्दिक श्री श्रीदास गोयल ने ए. बी. के रूप में प्रस्तुत किया है और जो टेक्निकल है, उसको स्वीकार करने की क्या हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—फाइनल शेप में यह प्रोविजो हर तरह से पढ़ा जायगा :—

"Instead of the present proviso to section 67, the following be substituted :—

'Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recognized by a revenue court unless such contract has been made by a registered deed by the landholder with the sub-tenant or tenant of khudkasht."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी प्रस्तुत हुआ है यह स्वीकार किया जाय
" Provided that the practice of crop-sharing under this section shall not be recog-

Page No.62

[श्री उपाध्यक्ष]

nized by a revenue court unless such contract has been made by a registered deed by the landholder with the sub-tenant or tenant of khudkasht."

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—We are not recognizing the practice of crop-sharing but the contract itself. So the contract shall not be recognized by any Revenue Court unless it is in writing and registered. The question is not of recognizing the crop-sharing but the contract of crop-sharing.

श्री वेदपाल त्यागी—The practice shall be recognized only when the contract is registered one not otherwise. That means the Court does not take cognizance of this crop-sharing unless it is a registered deed.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—Unless there is a contract in writing there is no question of practice. The practice in a contract has to be recognized. When we enter into an agreement the practice goes away and the question of agreement and recognition of the agreement comes in.

श्री वेदपाल त्यागी—It becomes enforceable in law only when the practice has been turned into a contract and registered.

श्री जवानसिंह—इससे तो अच्छा यह हो कि यह प्रोवीजो हटा दिया जाय।

श्री कपिलदेव—Provided that this contract of crop-sharing under this section shall not be recognized unless such contract has been made by a registered deed by the landholder with the sub-tenant.

It shall be like that:

Instead of 'practice' it should be substituted by the word 'contract'.

"Provided that the contract of crop-sharing......etc."
and then the word 'such' will remain as it is.

श्री जवानसिंह—Our contracts are governed by clause 3.

श्री वेदपाल त्यागी—Substitution of the word 'practice' by the word 'contract' does not make any difference in the sense that has come out already, but if the practice of crop sharing is also recognized by the court, it is only when that

Page No.63

[श्री वेद्पाल त्यागी]

practice has been incorporated in a contract which has been registered. It means this.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—In section 67 there is no mention of a practice. It is only permitted where crop-sharing by the landholders is contracted otherwise......

श्री उपाध्यक्ष—Contract will be better.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जावे। वर्डिंग्ज़ और लीगल लेंग्वेज के लिये गया हुआ है, किन्तु सेन्स तो हाउस के सामने है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, हालां कि सेन्स और आइडिया बिल्कुल साफ है, किन्तु वरबल चीज़ पर हाउस में मतदान नहीं लिया जा सकता। एक मिनिट के लिये इसको पेन्डिंग रखा जाय यही ज्यादा उपयुक्त होगा। हो सकता है उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर हो।

(इस खण्ड को स्थगित करने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—We take now next clause.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Mr. Deputy speaker, Sir, जो क्लॉज ६५ ए को पोस्टपोन किया था उसमें मैंने एक अमेन्डमेन्ट मूव किया था कि उसके आगे ६६ ए नया क्लॉज़ बढ़ा दिया जावे। तो may I be permitted to move the amendment.

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एक नया अमेन्डमेन्ट है मेरा।

श्री जवानसिंह—मूव करने से पहिले उसे सुना दिया जावे तो अच्छा है, क्योंकि उसे सर्कुलेट नहीं किया गया था।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा अमेन्डमेन्ट मैं सुना देता हूं :

"Add the following new Clause 66 A :

'66 A.—Maximum cesh rent recoverable by Government. Notwithstanding any law, rule, custom, usage or practice to the contrary, the maximum amount recoverable as cash rent from a tenant holding any land directly from the State Government shall not exceed:—

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

(a) Where rents in respect of such land has been settled, the rent rate sanctioned there-for during the last settlement, and

(b) Where rent in respect of such land has not been settled, the rent rate sanctioned during the last settlement for similar land in the neighbourhood.' "

मेरे खयाल से यह अमेन्डमेन्ट अपने आप में बिलकुल स्पष्ट है। और आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—बहुत ज्यादा लगान सरकार भी लेती है क्या ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हां, लेती है। आठ-आठ, दस-दस रुपया बीघा का चार्ज करती है और अगर सेटलमेन्ट रेट के मुकाबले में लिया जावे तो यह लगान बारह आना, चौदह आना बीघा पर आवेगी। तो एक तरफ सरकार लैण्ड होल्डर्स का रेक रेन्टिंग रोकने जा रही है पर दूसरी तरफ सरकार स्वयं भारी रेन्ट वसूल कर रही है। तो जो जमीन खालसा की है वहां पर सरकार भी ज्यादा नहीं ले सके इसके लिए धारा ६६ ए मैंने मूव की है जिसको, मुझे आशा है, सदन स्वीकार करेगा। इसके बारे में खास-खास बातें मैंने दफा ६५ पर बहस करते समय अर्ज की थी।

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक ६६ ए के एड करने का सवाल है और गवर्नमेन्ट के लिए भी रेन्ट फिक्स करने का सवाल है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसी भी तो बहुत सी जमीन है जो स्टेट गवर्नमेन्ट की नहीं है और दूसरे प्रकार के एस्टेट होल्डर्स या लेन्ड होल्डर्स की है वहां सेटिलमेन्ट जरूर हो चुका है पर वह किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में नहीं है, न थी, और ऑन एग्रीमेन्ट किसी व्यक्ति को दी जाती रही है। तो स्टेट गवर्नमेन्ट की लैण्ड का जहां तक सवाल है उसके लिए तो यह अमेन्डमेन्ट आ गया है, पर बहुत सी जो इस प्रकार की जमीन है तो उन जमीनों के होल्डर्स को भी किसी तरह से पाबन्द किया जाना चाहिये कि वे मनचाहा लगान वसूल न करें। तो जहां तक मैंने यह क्लॉज़ ६५, ६५ ए और ६६ को पढ़ा पर उसमें कहीं इसके लिए प्रोविजन नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप ६७ और पढ़ लेते तो इतना भाषण देने की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री श्रीदास गोयल—यह ६७ बी तो उन एरियाज़ के लिये है जहां सेटिलमेन्ट हो चुका है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—पर जिनका असेसमेन्ट भी नहीं हुआ तो उनके लिए भी नियमानुसार शिरकत में राइट्स कायम हैं जैसा कि उन्होंने अपने अमेन्डमेन्ट में दिया है ६६ ए में। तो जो बंजर एरिया है वहां राइट्स कायम हों उसका उपयोग करते हुए दूसरी जमीन पर कायम कर दी जावे तो इस प्रकार से ६७ बी में भी वह मंशा पूरी नहीं होती है। तो जैसा कि मैं समझ पाया हूं इसमें यह चीज नहीं है। इसलिए इसमें मेरा सुझाव और है कि जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेन्ट के लिए प्रोविजन है उस तरह जो दूसरी अनअसैस्ड लैण्ड है, उसमें भी असेस्ड रेन्ट को कायम किया जाना चाहिये।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—माननीय सदस्य ने जो तरमीम पेश की है वह बिल्कुल ठीक है हमारे धौलपुर में जो जमींदारियां ज़ब्त हो चुकी हैं उसमें तहसीलदार के द्वारा लगान वसूली करते हैं और सरकार अब तक इतना ज्यादा लगान वसूल करती रही है कि जितना बन्दोबस्त में कायम हो गया था उससे १२ गुना तक होता है। इसलिए अब जब कि सरकार जमींदार और जागीरदार को तो ज्यादा लगान लेने से रोक रही पर खुद १२ गुना तक लगान वसूल कर रही है ऐसी स्थिति में यह तरमीम मन्जूर होनी निहायत जरूरी है। यह मेरा निवेदन है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी तक तो इस अमेंडमेंट की यह स्टेज रही है कि यह अभी तक मूव नहीं हुआ हैं और चूंकि यह क्लॉज़महत्वपूर्ण है, अगर महत्वपूर्ण होता तो मैं इस स्टेज पर भी इसका विरोध नहीं करता पर इसके महत्वपूर्ण होने से मेरा यह निवेदन करना है कि इसमें जल्दबाजी न की जाय, इसको पहले सबको सर्कूलेट किया जाय ताकि सबको इस पर कुछ विचार करने का अवसर मिले और तत्पश्चात् इसे विचारार्थ लिया जावे और कन्सीडर किया जावे तो बेहतर होगा, क्योंकि केवल इसे पढ़ लेने से इसकी तमाम बातों को, इसके गूढ़ रहस्य को ठीक तरह से समझ सकने में मुश्किलात महसूस करेंगे, इसलिए फिलहाल इसको पेन्डिंग रखा जावे। सर्कूलेशन में आने के पश्चात् इसको रखा जावे।

राज श्री हिम्मतसिंह—I welcome.

श्री उपाध्यक्ष—यह सर्कूलेशन में भेजा जावे।

क्लाज़ ६८, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

और कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ६९ व ७०

क्लॉजेज़ ६९ और ७० दोनों पर कोई संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह दोनों क्लॉज़ेज़ स्वीकार किये जायें ?

राज श्री हिम्मतसिंह—६९ ए भी है । ६९-६९ ए और ७० तीनों क्लॉज़ेज़ हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—हां, ६९-६९ ए और ७० यह तीनों ही क्लॉज़ेज़ हैं, जिनमें कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि ये विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

Clauses 69, 69 A and 70 are added to the Bill.

खण्ड ७१

क्लॉज़ ७१ । इसमें श्री श्रीदास गोयल का अमेंडमेंट है ।

श्री श्रीदास गोयल—Which clause, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—७१ ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ७१ में एक बहुत ही फार्मल एमेंडमेंट है, और वह यह है कि जहां "Rajasthan Lands Summary Settlement Act, 1953," है उसके बाद ब्रेकिट में ? " Rajasthan Act NO. XIX of 1953)" एड कर दिया जाय ।

श्री खेतसिंह—क्यों ?

श्री श्रीदास गोयल—क्योंकि पहले...

Page No.67

श्री उपाध्यक्ष—यह एक टेक्निकल अमेंडमेंट है इसलिए, इसमें तो कोई एतराज होने की बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि श्री गोयल का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ७१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ७२

क्लॉज़ ७२, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड ७२ में जो उप खण्ड (५) है उसमें लिखा हुआ है कि:—

"(v) the rotation of crops and the periods of rent which tenants usually allow to land;"

तो यह ७२ में—"The Rent Rate Officer shall propose such rent rates as will appear to him to be fair and in doing so, he shall have regard to and compare" कन्सीडरेशन कर सकते हैं (१), (२) (३) और (५) वगैरह में।

'रेन्ट' शब्द कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गलत प्रिन्ट हो गया है या यह गलत शब्द है। उसकी जगह 'रेट' (rest) शब्द होना चाहिए। कोई भी होता है कि अपनीज मीन में फर्टिलिटी पैदा करने के लिए एक क्रॉप कर ले या बाद में रोटेशन कर लेता है। एक साल तिल्ली कर लेता है तो दूसरे साल ज्वार कर लेता है। तो 'रेन्ट' शब्द के बजाय 'रेस्ट' शब्द सब्स्टीट्यूट करना चाहिए ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में और जो हमने नीति अपनाई है रेन्ट्स को तय करने के सिलसिले में उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि हमने इसमें नीति जो अपनाई है वह शायद...

श्री श्रीदास गोयल—Point of order, Sir, क्लॉज़ ७२ के सम्बन्ध में जहां तक मेरे अमेंडमेंट का सवाल है उसके सिलसिले में उनको वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन बिना अमेंडमेंट किये इस प्रकार की जनरल डिबेट कर सकते हैं क्या ? इस मुद्दे पर, माननीय उपाध्यक्षजी मैं रूलिंग चाहता हूँ, क्योंकि पहले एक अमेंडमेंट में इसी हाउस में यह रूलिंग दिया गया था कि उसके लिये एक भी मेम्बर अपॉजिशन करे तो उसको स्वीकार या अस्वीकार करना हाउस की मर्जी पर हो जाता है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस सिलसिले में रूलिंग दें या डिसीजन जाहिर करें, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के सामने जो भी क्लॉज़ आती है तो पूरा डिसकशन सदन को करने का अख्त्यार है, उस अधिकार का सदन हमेशा सचेत होकर...

श्री उपाध्यक्ष—बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री जवानसिंह—धन्यवाद।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—'रेन्ट' और 'रेस्ट' में तो कोई एतराज नहीं है ?

श्री जवानसिंह—अमेंडमेन्ट नहीं पेश करते तो भी कोई एतराज नहीं था।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें जो नीति अख्त्यार की है रेन्ट तय करने की या उसके पीछे जो आधार है वह है कि सेटिलमेंट मेन्युअल अभी तक शायद हमारे सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उस चीज़ को हम इसमें पायेंगे ऐसी मेरी आशा है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कहना चाहिये कि अभी तक राजस्थान की सेटिलमेंट मेन्युअल पास नहीं हुई है, वह कार्यरूप में परिणत नहीं हुई है, अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके इस वक्त काम में लाये जा रहे हैं, एक ही जगह राजस्थान में वहां पर सेटिलमेंट की नीति अलग हैं, तरीके अलग हैं, तो राजस्थान के दूसरे हिस्सों में सेटिलमेंट करने के दूसरे तरीके हैं, रेन्टस एक जगह के दूसरी जगह से भिन्न हैं। केवल तरीकों की भिन्नता की वजह से ही रेन्ट अलग अलग हैं, तो मैं यह कहूँगा कि सारा राजस्थान एक ही हिस्सा होने के नाते उन अलग अलग हिस्सों में भिन्नता होना ठीक नहीं है, और उन काश्तकारों के साथ कुछ ज्यादती भी मानता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर अख्त्यार दिया गया है रेन्ट रेट ऑफिसर को कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि क्लॉज़ ७२ में दी हुई हैं जो भी उचित रेन्ट वह समझेगा वह तय करेगा। मेरा खयाल है कि यह किसी हद तक उचित माना जा सकता है। हमने एक नीति, एक बहुत बड़ा सिद्धान्त तय किया था, और उस सिद्धान्त को इसमें रखा था। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान उस नीति की तरफ दिलाना चाहूंगा कि रेन्ट रेट्स इस प्रकार से तय की

[श्री जवानसिंह]

जाय कि हर व्यक्ति उसको उचित मानें। मेरा यह निवेदन है कि इसकी प्राइस लेवल जिस प्रकार ऊंचा और नीचा, घटता और बढ़ता रहता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, उसी को सामने रखते हुए हमें रेन्ट तय करना था, और उसके साथ में उस शक्ल में प्राइस ऊपर और नीचे होने के साथ में रेन्ट रेट्स को उसी प्रकार से ऊंचा और नीचा रखने की आवश्यकता थी। मेरा खयाल है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के प्रान्तों में यह बात पाई गई है कि जहां प्राइस के साथ में रेन्ट रेट्स के ऊंचा और नीचा होने या बढ़ने या घटने का प्रोविजन है, वहां के लेजिस्लेशन में, वहां के कानून में उन्होंने पास जरूर किया है। उससे उनके किसानों को कई प्रकार से सहायता मिली है। जहां कि एक निश्चित रूप से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, रेन्ट बढ़ जाता है, उसके साथ में बिना किसी प्रिन्सीपल के बिना किसी सेटिलमेंट के किये हुए जो कि हर वक्त नहीं हो सकता है वह किसी एक निश्चित समय के बाद में ही किया जाता है, मेरा ख्याल है कि वहां हम करसपोन्डिंग रहें रेन्ट के साथ में तो ज्यादा उचित होगा बनिस्बत केवल रिवीजन ऑफ सेटिलमेंट के और उससे पहले नहीं करते हैं तो जिस वक्त रेन्ट रेट्स तय करने का अख्त्यार या तय करने का तरीका इस कानून के तहत में जैसा कि रखा है वह, मैं निवेदन करूंगा, मान लीजिये, जिस वक्त प्राइस लेवल ५ या १० के करीब इस वक्त में है और इसके साथ में इसका रेन्ट भी कुछ तय कर लिया, लेकिन कुछ साल ऐसे आ सकते हैं, एक या दो साल के बाद में कि जब प्राइस ऊपर चली जाती है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा में ऐसा प्रोविजन रखना था कि अगर प्राइसेस कुछ निश्चित लेवल के ऊपर पहुंच जाती हैं तो रेन्ट रेट्स भी प्रेपोरशनेट्ली उतना ही बढ़ जायगा, और प्राइसेस उसी प्रकार यहां कम हो जाती है तो रेन्ट भी उसी हिसाब से, होना चाहिये यानि अपने आप नीचे हो जायगा, घट जायगा। आप यह कह सकते हैं कि रेन्ट रेट्स सरकार जिस वक्त उचित समझेगी रिवीजन कर सकती है और रेन्ट मुकर्रर कर सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तरीका काफी खर्चीला है। इसमें सरकार हर जगह और हर वक्त रिवाइज़ करने को तैयार नहीं होती है, इसके लिए निश्चित साल होते हैं, एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन अगर यह तरीका अख्त्यार किया जाय कि उसी प्रोपोर्शन में रेन्ट उतना ही तय किया जाय जिस प्रकार प्राइसेज़ निश्चित दर के ऊपर या निश्चित दर के नीचे जाती है घट या बढ़ जायगा। तो मेरा ख़याल है कि इस तरह से रिवीजन करने की परेशानी घट जायगी।

कानून में हम इस बात को अच्छी तरह से तर्ज करेंगे तो मेरा ख्याल है उचित समय पर यह रिवाइज होती है तो सरकार को और किसानों को नुकसान नहीं होगा। सरकार वापिस दुबारा जब रिवीजन करे किन्तु उसमें ऐसा हो सकता है कि रिविजन न होने की सूरत में रेन्ट ज्यादा देना मुमकिन हो सकता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें इसे अभी पास करने के बजाय स्केल ऑफ रेन्ट के साथ यह प्रश्न रखें ताकि काश्तकारों का ज्यादा भला हो सके।

श्री भैरूसिंह (डि० नं० १६)—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ७२ के अनुसार हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करने जा रहे हैं कि किस आधार पर राजस्थान के काश्तकारों की किस तरह से

[श्री भैरूं सिंह]

माली हालत ठीक कर सकते हैं और उनकी हालत ठीक करने के साथ साथ सरकार को उन काश्तकारों से कितना लगान दिलाना है। जब हम आज तक राजस्थान में प्रचलित इस प्रकार के सारे रिवाजों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारे सामने यह एक दिक्कत उपस्थित होती है कि, राजस्थान में अलग अलग स्थानों का अलग अलग जलवायु है, अलग अलग प्रकार की भूमि और अलग अलग प्रकार की फसलें होने के कारण एक ही प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है और इस प्रकार के किसी एक सिस्टम के अभाव में कभी राजस्थान सरकार को कभी राजस्थान के काश्तकारों को और कभी राजस्थान के लैंड होल्डर्स को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज तक की प्रचलित प्रथा के अनुसार हमने जितने सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किये हैं वे एक प्रकार से आधार हो सकते हैं कि हम काश्तकारों से केश में लगान वसूल करें और इस प्रकार से लगान वसूल करने के लिए हमने इस क्लॉज़ के द्वारा इस सदन में कानून का रूप देने का निश्चय किया है। मैंने कई बार इस सदन में चर्चा की है कि राजस्थान के काश्तकारों और सरकार की हालत न्याय के आधार पर उस वक्त ठीक कही जा सकती है जिस वक्त अनाज पैदा होता है, उसका बंटवारा किया जाय। यदि ज्यादा पैदावार होती है तो बांटे के हिसाब से ज्यादा लगान मिलेगा और यदि कम पैदावार हुई है तो बांटे के रूप में कम दिया जायगा। लेकिन जब कभी इस प्रकार की दलील दी गई तो रेवेन्यू मंत्रीजी के द्वारा यह कहते सुना गया कि राजस्थान में शासन की दिक्कतें हैं जिनके कारण राजस्थान में इस प्रकार का सिस्टम (introduee) नहीं किया जा सकता। आज यह मान भी लिया जाय कि शासन की दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन मैं इस क्लॉज़ में वह चीज़ उपस्थित करूंगा जिससे कोई दिक्कत नहीं आयगी। पुराने नियम के जरिये रेटस में ज्यादा उथल-पुथल होती है। आज रेट्स क्या हैं और फिर पांच साल में कुछ और हो जाती है। सेटलमेंन्ट का समय कहीं १० साल का है तो कहीं २० साल का है। इसके कारण एक जटिल समस्या सरकार के सामने आती है और काश्तकारों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, रेन्ट का डिटरमिनेशन मौजूदा भाव से होता है और आगे जाकर मार्केट रेट में फर्क पड़ गया तो काश्तकारों को और सरकार को भी नुक्सान होता है। मैंने इसके लिये एक उपाय सोचा है और मैं चाहूंगा कि सदन भी इसके बारे में सोचे और वह यह है कि असेस्मेन्ट ऑफ रेन्ट बांटे के आधार पर की जाय। हमने सिद्धान्त माना है मार्केट प्राइस का Produced crops का एक्सपेरिमेन्ट भी माना है, रिटर्न का ख्याल रखा है लेकिन सब कुछ ख्याल रखने के बाद हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं और बंटवारे में जितनी दिक्कतें आती हैं वे एक ही सूरत में दूर हो सकती हैं। यदि सरकार और काश्तकारों को ठीक तरह से चलना है तो हमें इस प्रकार का रास्ता अख्त्यार करना पड़ेगा जो सुगम है और जो आसानी से लागू हो सकता है और वह यह है कि जहां हम एसेसमेंन्ट assessment in cash करें उस जगह Assessment in kind कर दें। वसूली चाहे हम cash में करें। मान लीजिये एक बीघा जमीन में २० मण अनाज होता है। हमने चौथा बांटा या पांचवा बांटा जिस प्रकार सरकार कानून बनाये उस के अनुसार हमने बांटा मुकर्रर कर लिया तो २० मण के पीछे ४ मण अनाज हमको लगान के रूप में देना है। यदि सरकार चाहे तो उसकी कीमत किसान से वसूल कर सकती है लेकिन जो आधार लगान का बनाया जाय वह इस प्रकार का कर दिया जाय

[श्री भैरूसिंह]

जिससे न काश्तकारों को नुकसान हो और न उनके सामने दिक्कत आवे और न सरकार के सामने दिक्कत आवे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिये आज हमने सेटलमेन्ट किया और आज के भाव से लगान निश्चित कर दिया। कल अनाज का भाव सस्ता हो गया तो ऐसी हालत में काश्तकारों के सामने बड़ी दिक्कत आयेगी। उनको तो निश्चित रकम देनी पड़ेगी। तब वे सरकार के सामने रेमिशन की दरख्वास्त पेश करेंगे और सरकार के रेमिशन करना पड़ेगा। काश्तकार चिल्लायेंगे, उनके डेपूटेशन सरकार के पास जायेंगे, लोग उनको बरगलायेंगे और अंत में सरकार को रेमिशन करना पड़ेगा और यदि नहीं करेगी तो काश्तकारों की हालत नहीं सुधरेगी। इन सारी दिक्कतों को हल करने का तरीका यह है कि एसेस्मेंट काइन्ड में हो ताकि सरकार के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत भी नहीं रहे और किसानों का भी भला हो जाय। सरकार यह कह सकती है Cash नहीं मिलने से कैसे काम चलेगा, रूपये नहीं होंगे तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को कहां से वेतन के पैसे चुकायेंगे, प्लानिंग की पूर्ति कैसे होगी, सब कामों के लिये रूपये कहां से आयेंगे ? लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि रूपयों का सवाल काश्तकार हल कर देंगे। लेकिन हमको सिद्धान्त एक बनाना है। आज यदि हमने पांचवा बांट कर दिया तो रेट्स चाहे कुछ भी हो जितनी कीमत एक मन अनाज का एक तहसील, में जिले में या डिविजन में या तहसील के भिन्न भिन्न गांवों में है उसी के अनुसार कीमत आजायगी। यदि अलग अलग भाव हैं तो अलग अलग सेन्टर्स हो जायेंगे लेकिन सिद्धान्त यह है कि यदि किसी फसल में पांचवा बांटा लेना है तो २० साल तक वही बांट लेते रहेंगे। आइन्दा राजस्थान में किस प्रकार की परिस्थिति रहती है उसी के आधार पर आगे काम करना पड़ेगा। राजस्थान के किसानों की जो हालत आज है वह २० साल में खूब develop होगी, उनकी जमीन की आज यह हालत है २० साल के बाद उस हद तक सुधर जायगी कि उनको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मैंने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर इस सिद्धान्त को रखा है कि जो असेस्मेन्ट होगा वह काइन्ड में हो। इसमें विरोध मुश्किल नहीं है। उसमें मार्केट प्राइस रह सकती है Returns का ख्याल रह सकता है, जो लगान लेते हैं, उसको ले सकते हैं, प्रोड्यूस आता है उसके उचित हिस्से को ले सकते हैं। ग्रोस प्रोडयूस को लेकर एक्सपेन्डिचर बाद देकर नेट प्रोडयूस निकाल सकते हैं। यह एक प्रकार से सही आधार बनेगा। काश्तकारों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार को ज्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। अकाल की समस्या आ गई हो, नहरों में पानी बढ़ गया हो, काश्तकार लगान नहीं देते हैं, इन सारी दिक्कतों का हल एक प्रकार "in kind" लगान करने से हो जायगा। २० मन की उपज है तो पांचवां या छठा बांटा देना पड़ेगा इस आधार पर हम सर्कल बनाकर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जायगा। आज मैं उस देश की एग्जेम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें ऐसा सुना जाता है कि लैंड रिफोर्म्स प्रगति के साथ तेजी से हुए हैं और वहां पर काश्तकारों को काफी राहत मिली है। वह देश है चीन। उस देश की ओर ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां न तो सर्कल्स और न डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन जिस जगह जिस प्रकार की प्रथा थी उसी को एक ढंग से रेगुलेराइज़ किया गया है। जहां जिस प्रकार की बात थी वहां उसी प्रकार की रखी गयी है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो पैदावार होती है

[श्री भैरूसिंह]

उसका इतना हिस्सा सरकार ले सकती है। इस चीज को तय करते समय वहां की जलवायु, भूमि की पैदावार, काश्तकारों की हालत आदि सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखकर एक सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें काश्तकारों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है।

और उन ग्रुप्स में देख लिया कि उस ग्रुप्स में सिंचाई के ये साधन बढ़ाये जा सकते हैं और सिंचाई के वे साधन जुटाने में डवलपमेंट चार्जेज इस तरह के हो सकते हैं, इन सब चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस प्रकार का सिस्टम इन्ट्रोडयूस किया है कि कहीं केश में और कहीं काइन्ड में, जैसी की परिस्थिति होती है उसी तरह रेंट वसूल किया जाता है। उनके सामने यही दृष्टिकोण है कि किसानों को और मजदूरों को राहत पहुंचानी है, जो कृषक बनना चाहते हैं उनको कृषक बनने में सहयोग देना है।

राजस्थान की भी परिस्थिति इसी प्रकार की है। सर्किल रेट्स के आधार पर रेन्ट लेते हैं तो एक गांव में सिंचाई के साधन ठीक हैं और वहां से पांच कोस की दूरी पर जो पास का गांव है, जो उसी सर्किल में है, वहां सिंचाई के साधन ठीक नहीं है, दो तीन कोस की दूरी पर किसी गांव में जमीन बहुत ही करड़ी है, तो उसी सर्किल के और गांव में जमीन बड़ी अच्छी है, एक जगह सिर्फ १० या १५ फुट पर पानी है तो दूसरी जगह पानी बहुत नीचा है। तो ऐसी सूरत में सर्किल रेट जो रेंट रेट ऑफीसर ने एक जगह जहां कि पानी के साधन ज्यादा हैं पानी ऊपर है। उस आधार को लेकर उस सर्किल की रेंट रेट डिक्लेअर कर दी तो ऐसी सूरत में जहां कि सिंचाई के लिये काफी परिश्रम करना पड़ता है, पानी बहुत नीचा है वहां इस तरह की रेंट रेट से किसान को बहुत नुकसान होगा। जहां पानी काफी ऊपर है उन लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह एक ही सर्किल में जबकि कुछ किसानों को जहां कि सिंचाई के साधन ठीक हैं वहां उनको कुछ फायदा होगा तो दूसरी तरफ उन किसानों को जिनके यहां कि पानी बहुत नीचा है उन किसानों को बहुत नुकसान होगा।

इसलिये मेरी रायमें ऐसे ग्रुप्स बनाये जांय कि जहां के एरिया की हमें इस प्रकार के सब साधनों को दृष्टिकोण में रखते हुए, सिंचाई के साधन, जमीन आदि को ध्यान में रखते हुए सीमिलियेरिटी मालूम हो और ऐसी जगहों में एक तरह के रेन्ट रेट्स मुकर्रर किये जांय। इससे जितनी दिक्कतें आज सामने आती हैं वे नहीं आयेंगी और इस प्रकार उन दिक्कतों का सामना करते हुए उन दिक्कतों को हटाया जायगा।

काश्तकारों में आज असंतोष है, इस कारण असंतोष है कि जहां दो सर्किल्स की बाउन्डरी मिलती है वहां एक गांव में सिंचाई आदि के अच्छे साधन होते हुए भी और जमीन अच्छी होते हुए भी रेंट रेट २) रु० है तो उसके पास के ही दूसरे गांव में जो कि दूसरे सर्किल में है वहां सिंचाई आदि

[श्री भैंरूसिंह]

के कोई साधन नहीं होते हुए भी और जमीन कम उपजाऊ होते हुए भी ५) रु० फी बीघा रेंट रेट मुकर्रर की हुई है। इससे किसानों में बड़ा असंतोष रहता है और सरकार को भी इससे दिक्कत महसूस होती है, और कहते हैं कि क्या करें इस गांव का इस सर्किल से सम्बन्ध था इसलिये इतनी रेट। धर गई। इस मौजूदा सिस्टम से काश्तकारों को और सरकार को दोनों को ही दिक्कत है।

गांधीजी ने भी बताया था कि भारत की लगान की प्रथा पुरानी नहीं है। यह अंग्रेजों की चलाई हुई है, इसे ठीक करना होगा। उन्होंने नेताओं को सलाह दी है कि राजस्थान में कृषकों से लगान बांटे के रूप में लेना चाहिये। बांटा लेने से उनके सामने आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। यह जो इसमें सिस्टम दिया गया है इसको रिवाइज़ किया जाय। assessment in kind कर दिया जाय और हम काश्तकारों को पाबन्द कर सकते हैं कि जो काइन्ड में हो उसकी केश में रकम जमा करा दें। इससे रेमिशन का झगड़ा पैदा नहीं होगा।

श्री ईश्वरी सिंह—काश्तकार कनां सूं बांटो लेबा को जिकर चाल रयो है, काश्तकारा की यां लोगां ने इत्तो फिकर है कि जीं की कोई हद नहीं। बांटा सूं सरकार ने और काश्तकार ने किया को फायदो है या बात मारी समझ में नहीं आई। मैं तो यह समझूं हूँ के राजस्थान में बांटा वालो कानून पास हो जाय तो काश्तकार नहीं रे सकेगा। काल में गाड़ी में आयो, रींगस में मेलो हो, हजारों आदमी गाड़ी में ऊपर तली चढ़ रया हा। बाबू लोगां ने विश्वास हो के ए लोग टिकट लेर आया होगा, स्टेशन माथे बाबू एक है, गाडी रुकी और लोग भाज गया। ईं माफिक ही क्यों तो जाय है के काश्तकार और सरकार दोनों के फायदा की बात है पण कियां फायदा की बात है, कियां तो सरकार बांटो ले लां, कुण एक एक की निगाह राखेलो और कुण बांटो ले सकेलो ? बांटो नाम तो आज भैंस और बलद ने भी हटा दियो। लगान बांधो तो इयां को बांधो के जीं माफिक किसान १०० साल सूं बंधाण के तांणी उडीक रया है। बांटा कर र कांई सामन्तशाही कानून बाणाणों है ? बांटो दे दियो जाय तो किसान उलट जावे और मैं अठे बैठा बैठा फलका खावां, इयांन की बातां अब नहीं चल सके, अबे तमाम आदमियां की आंख्यां पर धूल नहीं नांखी जा सके। महात्माजी का बचनां को भी उदाहरण दियो। महात्माजी तो आ भी कही ही अखबार में लिखी पडी है, कोई कहे तो लायर बताय दूं के हिन्दुस्तान में जदी आराम होवेगो के कानून बणाण वाला किसान होवेला और हिन्दुस्तान में घी और दूध दही की नदियां बह जायंगी। आ चीज वे कही ही।

काश्तकारां की हिमायत तो अठे १६० जणां है वैसे ही करे है पण करे इसी है के जाणों प्राणां में पिस्तौल की गोली दी है। अंग्रेज चालिया गया, हिन्दुस्तानियां की हुकूमत हो गई अो नयो कानून बांध रया हो तो कोई सोच विचार रओ लगान बांधो तो क्यूं न क्यूं रियायत काश्तकारां ने दो ताके थें लोग जो चुणाव की भखत डींगां हांकी ही के थांरी साथ इयां कर दांला बियां कर दांला, वीं वादा ने पूरो करो। विधवा स्त्री खेती करा सके है, इयां की बातां करो और लगान इयां को बांधो जियां को के काश्तकार १०० वर्षों सूं उडीकता आ रिया है !

श्री नाथूराम मिर्धा—(बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष—यह जनरल बहस नहीं है, जनरल डिबेट की बातें हो गईं उनमें से कोई खास पोइन्ट का रिप्लाई देना चाहते हैं तो ठीक है वरना रेवेन्यू मिनिस्टर जवाब देंगे उसमें दी जायेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं खास पोइन्ट पर ही बोलना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, यहां जो कुछ सदन में बहस चली वह दफा ७२ के शीलिंग्स में की लेकिन जो धारा इवोल्व करने की है कि क्या तरीका इवोल्व करने का होगा, इसके कुछ सिद्धान्त इस दफा के कुछ क्लॉजेज़, में दिये हुए हैं उन क्लाजेज़ में कुछ बहस न होकर जो बहस का मुद्दा था वह कुछ चला गया दूसरी थियोरीज पर। रेंट रेट कैसे इवोल्व की जा सकती हैं इस पर दो सदस्यों ने अपने अपने विचार इस सदन में किसी तरह से किसानों को मदद देने के लिये अपनी विचार धाराओं को रख कर रेन्ट रेट के बारे में कहा उसके सिलसिले में मुझे भी दो शब्द कहने हैं।

सिरोही से आने वाले सदस्य हैं वे उस सिलेक्ट कमेटी में भी सदस्य थे, अगर उन्होंने जो बातें इस दफा के सिलसिले में यहां कहीं वही बातें उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भी काफी जोर से कही थी। उन्होंने कहा था कि रेन्ट रेट इन्ट्रोड्यूस करने के (अश्रव्य) होना चाहिये। इस बात को इन्होंने खास तौर से सदन में भी जोर देकर दोहराया है। उस वक्त भी उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में काफी बहस मुआवजा हुआ और उसके बाद यह राय रही कि मौजूदा जो रेन्ट रेट के लिये जो रूल्स प्रिवेलेन्ट है और आज दिन तक सब से अच्छी तरह से काम में लिये जाते हैं, जो धाराएं अलग अलग क्लाजेज़ के रूप में रखी गई है उसी के कारण किया गया है।

दांता-रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत ज्यादा अच्छा और ठीक होगा कि हर किसान की जो साल की प्रोड्यूस हो उसको मुकर्रर कर लिया जावे और रेन्ट रेट काइन्ड में किया जावे और जो उस समय का भाव हो उस हिसाब से रकम वसूल कर ली जावे। उनके उसूल में और श्री जवानसिंह के उसूल में फर्क है। स्लाइडिंग स्केल में एवरेज प्रोड्यूस की निकाल ली जाती है और भावों में जो कमी और बेशी होती रहती है वह पब्लिश करने के बाद जो रेन्ट पर्टीकूलर इयर में ली जाती है। माननीय सदस्य जो दांता रामगढ़ से आये हैं उन्होंने यह कहा है कि हर साल एक ही खेत में जो पैदावार हुई हो और जो उस साल की प्राइसेज़ हो उस प्राइसेस की बेसिस पर......

श्री भैरोंसिंह—मैंने जो कहा वह एवरेज की बात थी।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं जो समझ सका वह क्रॉप से मतलब था।

श्री भैरूं सिंह—अब आप एवरेज़ पर मान लें।

श्री नाथूराम मिर्धा—वही स्लाइडिंग स्कोल की बात आ जाती है। मैं यह कहूंगा कि यह तरीका जो आप कह रहे हैं जहां कहीं भी लागू किया गया वहां अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि हमारे मुल्क में किसान अभी तक अनपढ़ हैं और वे अच्छी तरह से इस बात को नहीं समझ सकते कि इस वर्ष में क्या प्राइसेस है और कितना लगान उनको देना होगा। किसान हमेशा यह चाहता रहा है कि उसको यह निश्चित रूप से पता लग जावे कि खेत उसका है, उसको इतना लगान देना है और कब तक उस पर उसका कब्जा रहेगा और वह कब तक उस पर काश्त करता रहेगा। यह किसान के लिए बहुत लाजमी बात है इस सिलाइडिंग स्केल, इक्वीटेबल प्रिन्सीपल की बात कही। माननीय उपाध्यक्ष, इससे हर वक्त दिक्कतें आती है। समय समय पर भाव अलग होंगे, गजट में शाया करना होगा और जो लैंड रेवेन्यू को वसूल करने वाला ऑफिसर होगा उसको वही लगान वसूल करना होगा। अनपढ़ किसान होंगे उनको मालूम नहीं होगा कि जो लगान वसूल उनसे किया जा रहा है वह सही है या नहीं। इसलिए आज का किसान है वह स्लाइडिंग स्केल से रेन्ट रेट नहीं दे सकता। इसलिए यह सिद्धान्त की बात कही है। माननीय उपाध्यक्षजी, वह किसान के हित में वाजिब नहीं होगा और जो इक्वीटेबल प्रिन्सीपल पर जो इस रेन्ट रेट का तरीका है उसमें कमियें बताई हैं और कहा कि यह सर्कल रेन्ट, गांवों में दो तरह करने से बहुत मुश्किल हो सकती है।

अगर इस दफा में जो सिद्धान्त दिये हुए हैं उन पर अमल किया जाए तो सब कमियें पूरी की जा सकती है। मैं यह मानता हूं कि रेन्ट रेट एक्वीटेबल प्रिन्सीपल कानून का जो तरीका है जो इस दफा में दिया हुआ है और उसको ध्यान में रख कर काम किया जावेगा तो रेन्ट रेट ली जावेगी वह बिल्कुल वाजिब होगी। मुझे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ७२ पर बहस हो रही है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(श्री श्रीदास गोयल से) रजिस्टर्ड डीड वाले में अपने एमेंडमेंट को वापिस नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—वह मुल्तवी किया गया।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह मुल्तवी नहीं किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आप ७२ क्लॉज़ पर बहस कर रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—अभी ७२ क्लॉज़ पर बहस हो रही है लेकिन ६७ एच पर जो अमेंडमेंट रखा था उसको फोर्मली विद्ड्रा नहीं किया। उसके लिये कह रहे हैं।

श्री जवानसिंह—एक्सप्लेन करने के बजाय आप उसको विदड्रा ही कर लें।

श्री श्रीदास गोयल—मैं ६७ एच पर अपना अमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की अनुमति है।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो चुका है। कल ८ बजे सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसका रिप्लाई कल दिया जावेगा।

इसके अलावा स्पलीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस कल के लिये ऑफिस में एवलेबल है। यह कुछ सदस्यों के पास तो पहुंच चुकी है और कुछ सदस्यों के पास नहीं पहुंची है। इसलिए वे सदस्य यहां से जाने से पहले वहां से ले लें क्योंकि इतना समय अब नहीं रहा है कि उनके पास पहुंच सके।

(सदन की कार्यवाही ११ बजकर ५६ मिनट पर, मंगलवार, दिनांक ७-६-'५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-३ सितम्बर, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज़ पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है।)

प्रश्न

१७०७. (३०२/इ.एम.) श्रीमती यशोदा देवी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८–क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या ग्राम बसी जिला जयपुर में १९०३ से मिडिल स्कूल चालू है ?

(ख) क्या बसी के इस मिडिल स्कूल में इस समय ४५० से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं ?

(ग) बसी मिडिल स्कूल के लिये जो सिर्फ ४ कमरे छोटे छोटे दे रखे हैं उन्हें क्या सरकार स्कूल चलाने के लिये पर्याप्त समझती है ?

(घ) अगर उक्त चार कमरे नाकाफी हैं तो क्या सरकार कोई दूसरी बिल्डिंग देना या इसी में काफी इमारत बनाकर इस परेशानी को दूर करना चाहती है तो कब तक इन्तजाम हो जाने की आशा की जाये ?

उत्तर

(क) नहीं–ग्राम बसी जिला जयपुर में मिडिल स्कूल सन् १९३० से चालू है। १९०३ से नहीं।

(ख) नहीं—इस समय बसी के मिडिल स्कूल में ३६४ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

(ग) हां। इस समय स्कूल में चार कमरे हैं।

(घ) वर्तमान छात्रों व अध्यापकों की संख्या देखते हुए यह चार कमरे अपर्याप्त हैं।

(ङ) यदि वहां की जनता स्कूल के लिये अधिक कमरे बनवाने में अपना सहयोग देगी तो सरकार भी उसमें सहायता देने के प्रश्न पर, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अवश्य विचार करेगी।

प्रश्न

१७०८, (३०३/इ. एम.) श्रीमती यशोदा देवी, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ८—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बसी ग्राम जिला जयपुर में कन्या पाठशाला के लिये कोई सरकारी बिल्डिंग न होने से १०×८ फिट का एक बरांडा व ४×५ फिट की एक कोठड़ी रुपये ५) माहवार पर किराये से ली हुई है ?

(ख) क्या वहीं पर मालिक मकान मय फेमिली के अध्यापिका के साथ रहता है ?

(ग) क्या सरकार इस कन्या पाठशाला के लिये इमारत बनाकर शीघ्र ही शिकायत को दूर करने की सोच रही है, यदि हां, तो कब तक इमारत बनादी जायगी और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) हां। बसी ग्राम जिला जयपुर में कन्या पाठशाला एक किराये के भवन के चल रही है

(ख) हां। इस पाठशाला के लिये एक बरांडा व एक कोठड़ी ४ रु० महावार किरायें पर लियें हुए हैं।

(ग) हां। उपर्युक्त बराडां व कोठड़ी जो किराये पर लिये हुए हैं उनमें तो स्कूल लगता है और कुछ भाग में अध्यापिका व मालिक मकान रहते हैं।

प्रश्न

१७१२. (३१० इ. एम.) श्रीमति यशोदा देवी, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ८—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बसी के मिडिल स्कूल में ज्यादातर किसानों के ही लड़के पढते हैं और मिडिल कक्षा पास कर लेने के बाद उनको आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये जयपुर जैसे शहर में आना पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार इस परेशानी को दूर करने के लिये इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की सोच रही है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक हाई स्कूल बन सकेगा ?

उत्तर

(क) हां।

Page No.79

(ख) हां, बसी के मिडिल स्कूल में ज्यादातर किसानों के लड़के पढ़ते हैं। इस स्कूल के मिडिल पास शुदा लड़कों में से जो हाई स्कूल की पढाई करना चाहते हैं उन्हें जयपुर, दौसा, अथवा गीजगढ़, बसवा, अथवा बांदीकुई जाना पड़ता है वहां स्थिति गांव जैसी है है।

(ग) (क) उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नही उठता।

प्रश्न

१७१३. (२०५।एल. एल. एम) श्री तेजपाल एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या पीने के पानी की असुविधा के निवारण हेतु भरतपुर नगरपालिका ने कोई निवेदन सरकार के समक्ष रखा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त असुविधा को मिटाने में कहां तक प्रयत्नशील है ?

(ग) यह कष्ट कब तक मिट सकेगा ?

उत्तर

(क) जी हा। इस विषय में नगरपालिका ने एक जल योजना सरकार के समक्ष पेश की है। तथा १६००,००० रु० के कर्ज के लिए सरकार से निवेदन किया है।

(ख) यह विभाग जल योजना की स्वीकृति दिलाने व इस वर्ष २ लाख कर्ज दिलाने में प्रयत्नशील है।

(ग) ज्योंही योजना कार्यान्वित हो जायगी।